

( १ )

चञ्चुप्रवेशो यद्यत्र द्विजस्योत्पतत क्वचित्,  
तदाऽम्लत्व कपायत्वं दूरापास्तं हि ज्ञायताम् ।

( २ )

नहि किञ्चिन्निगूढं हि तत्त्व नामेह संस्कृतौ,  
परं धृमायित. कैश्चिद् विषय प्रकृतिं गत ।

( ३ )

निबन्धो लघुकायोऽयं महतोऽपि विनेष्यति,  
महामूल्यान्महाकायान् गजेन्द्रानङ्कुशो यथा ।

## लेखक का निवेदन

भयंकर नर महाग के बाद और राष्ट्र के दो टुकड़े हो जाने के बाद जब अपने हिस्से के भूभाग पर अपना राज हुआ तो मन में आया कि अथ म्यन्मार् की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। एक राष्ट्र की एक जाति होनी है और उसकी 'अपना' एक संस्कृति होनी है। संस्कृति की एकता ही जाति का निर्माण है। इंग्लैंड एक देश, या राष्ट्र है। उस राष्ट्र की जाति को 'इंग्लिश' कहते हैं। 'इंग्लिश कल्चर' कहने से समझा जाता है—इंग्लिश जाति का (इंग्लिश नेशन का) रहन-सहन रीति-रिवाज, वेश-भूषा, गान-पान का रंग आदि। इसी को हम 'अमेज-संस्कृति' कहते हैं। इस संस्कृति से किसी ग्राम नत-नप्रदाय का, या किसी ग्राम हल का कोई ग्राम सम्बन्ध नहीं है। नभी नत-नजराब और सभी हलों की संस्कृति एक है। यह संस्कृति धारा-प्रवाह में चली आ रही है। उससे नद में पत्त नर पहन परिवर्तन हुए हैं। परन्तु यह पढ़ने भी एक थी और अर भी एक है। इसी तरह जापान एक देश या राष्ट्र, यहाँ हमने यानी जाति नेशन) 'जापानी और जापानी संस्कृति का 'अपना' एक रूप। जापान के यौद्ध, ईसाई या किसी भी सम्प्रदाय से नोन इस संस्कृतिक प्रथा के कारण भिन्न नहीं जान पड़ते। 'मूत्रे नसिगणा इव' इस संस्कृति से नद मशर है। यही निर्गत पान आदि ही है। यहाँ के यौद्ध (युद्ध की उन्मूलन), भागत की भाषा (धार्मिक पाली-प्राकृत, संस्कृत आदि) पढ़ने हैं, यदि जिसका में अपने पढ़े, से। नही को, अपने रीति भाषा में ही हुए मिला

पढ़ते-सुनते हैं। जो लोग पाली-संस्कृत पढ़ भी लेते हैं, वे भी अपने बच्चों के जीवन में उसे (संस्कृत या पालि को) नहीं उतारते। वे अपने बच्चों के नाम भी संस्कृत या पालि में रखें, यह बात नहीं है। नाम अपनी चीनी भाषा में। यही स्थिति वहाँ के मुसलमानों की है। आठ-दस करोड़ मुसलमान चीन में हैं, परन्तु कहीं किसी का नाम 'अब्दुल मजीज' या 'रफी अहमद' जैसा न मिलेगा। सब के नाम चीनी भाषा में हैं। रहन-सहन, वेश-विन्यास और खान-पान भी एक। यानी, वहाँ बौद्ध, कन्फ्यूशस, मुसलमान, या ईसाई आदि को आप पृथक् पहचान नहीं सकते, जब तक वह स्वयं अपना 'मत' प्रकट न करें। जैसे कि अपने यहाँ वैदिक मनातनी आर्यममाजी, शैव, वैष्णव आदि तथा अवैदिक जैन, बौद्ध आदि पहचान में नहीं आते। नाम-रूप में कोई भेद नहीं जान पड़ता। यह अभेद सांस्कृतिक है। संस्कृति ही 'एक राष्ट्र' बनाती है।

'मत' और संस्कृति में बड़ा अन्तर है। संस्कृति के समुद्र में न जाने कितने मत-मजहब लहरों के समान प्रकट होते रहते हैं और मिटते रहते हैं। 'मत' का संबन्ध तो 'मन' से है। हम अपने मन में समझते हैं कि ईश्वर है तो हमारा 'मत' ईश्वरवादी। और हमारा मन ईश्वर की मत्ता नहीं मानता, तो हमारा 'मत' अनीश्वरवादी। यह 'मत' या मन की बात संस्कृति से भिन्न है। एक ही संस्कृति के ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी को आप पहचान कर अलग-अलग नहीं कर सकते, जब तक वह अपने मन की बात प्रकट न करें। परन्तु भिन्न संस्कृतियों के दो ईश्वरवादियों को आप भेद पहचान कर अलग-अलग कर सकते हैं, यदि उनमें सांस्कृतिक फरक न आ पाए हो। यही कारण है कि इस देश के ईश्वर-

यहाँ हिन्दू 'श्री' सुनलमान अलग-अलग दिशाएँ देते हैं। 'मन' (संस्कारवाद) तो मन ही चीज है। नाम-रूप से उनका कोई सम्बन्ध नहीं। मो. सांस्कृतिक भेद से दोनों में भेद स्पष्ट है। एक जगह भारतीय संस्कृति है, दूसरी जगह अरबो-ईरानी संस्कृति। यह और बात है कि भारत की अपनी (भारतीय) संस्कृति में कुछ चीजें, समर्पण से, अरब-ईरान प्रादि की भी प्राप्त मिली हैं। श्री अरबो-ईरानी संस्कृति भी भारत में कुछ भारतीयता से प्रभावित हुई हो, परन्तु प्रथम दोनों चल गयी हैं।

इस संस्कृति-पार्यन्त का तात्पर्य क्या है ? उन पार्यन्त से क्या मतलब है ? क्या यह सिद्धि रहने से प्रागे अहम-सम्भावना है ? एम एक संस्कृति से क्यों नहीं हो जाते ? यह भेद-भाव भिदा क्यों नहीं देते ? हिन्दू 'श्री' सुनलमान अलग क्यों दिशाएँ देते हैं ? यह कैसे पताचान से प्राप्तता है कि यह हिन्दू है श्री या सुनलमान ? यह भेद-भाव क्या माध के लिए किस्म है ?

संस्कृत परिवर्धित होने पर नये मन में यह सब आया। ने ने मोजा, भारतीय संस्कृति की ज्यों चलाते के लिए एक प्रसिद्ध भारतीय सिद्धांतमेवम दुलारा जगह इस के लिए मैं ने 'कली-नवरी प्रसारिणी नया से निर्या-एकी गी। 'सभा' का एक अकार-संस्कृत परिवर्धित अर्थान पुन, में भी है - 'संस्कृत-निर्देशन।' अरबी का लेख परिणाम में अरबों यह अर्थान (संस्कृतान निर्देशन) 'सभा' से सम्बन्धित यह सिद्धि है - संस्कृत-सिद्धि 'संस्कृत' लाने के लिए, जिस में अरबों से सम्बन्धित है। मैं ने संस्कृत का जो सम्बन्ध सम्बन्ध है अरबों, का लेख यह सब सब से सिद्ध है। (संस्कृतान निर्देशन) सम्बन्ध नहीं सम्बन्ध है, जो

कि और सब लोग । स्वामी जी अपने इसी आश्रम ('सत्यज्ञान-निकेतन') में रहते हैं । मैं ने उन से पूछे बिना ही 'सभा' से वात-चीत की । 'सभा' ने मेरा प्रस्ताव मान लिया और दो सौ रुपए प्रारम्भिक खर्च के लिए, मैं ने जो मागे थे, भेज दिए । मैं ने सामाचार-पत्रों में सूचना छपाई और विद्वानों के पास निमंत्रण भेजे । राजर्षि टंडन तथा डा० अमरनाथ भा आदि ने मुझे समर्थन दिया । काम आगे बढ़े कि इतने ही में 'सभा' से पत्र आया कि इस समय साम्कृतिक-सम्मेलन करना ठीक नहीं है । सम्भव है, 'सभा' के सचालकों को मेरी सस्कृति का पता चल गया हो और उन्होंने ने इसे नापसन्द किया हो । यह भी सम्भव है कि स्वामी सत्यदेव ने कुछ लिखा हो । शायद और ही कुछ कारण हो, पर सभा ने अपना संरक्षण हटा लिया ।

'सभा' के हट जाने पर भी मैं वैसा सम्मेलन करता, परन्तु इसी बीच महात्मा गांधी हमारे बीच से उठ गए ! इस में एक 'व्यक्ति' अपराधी था, दो-चार उस के सहायक थे, जिन को वाद में अदालती सजा मिली । परन्तु उस समय नेहरू जी को इतना क्रोध आया कि विवेक खो बैठे । देश भर से बीसों हजार लोगों को पकडवा कर जेलों में बन्द करा दिया— न कोई मुकदमा न पैरवी । जिस में कुछ विशेष हिन्दूपन देखा, या जिसके विचार कांग्रेस से भिन्न देखे, पकड कर जेल में डाल दिया । स्थानीय कांग्रेस-जनों की मलाह से यह पकड़-धरुड हुई थी । मुझे भी पकड लिया गया और मीधे जेल भेज दिया गया । मजा यह कि मैं ने मन् १९१६ से लेकर उस समय तक कांग्रेस के मंडे के नीचे राष्ट्रीय सेवा की थी, सभी आन्दोलनों में नुल कर और डट कर भाग लिया था और इस के

लिए मुझे सब तरह की सजाएँ मिली थीं ! यह सब देखने-जानने वालों ने ही मुझे इस लिए जेल में डलवा दिया था कि मैंने उजड़े हुए पजाबी भाईयों को बसाने में कुछ मदद की थी और इस में बाधा डालने वालों का मुकाबला किया था । यही मेरा अपराध था । न मैं कभी हिन्दू-महासभा का सदस्य हुआ था, न 'राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ' से कोई सम्बन्ध था, न ऐसी संस्थाओं के किसी जलसे-जलूम में ही तब तक सम्मिलित हुआ था । खैर, जेल चला गया ।

जेल में ही मैं ने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि प्रयाग-मेले में राजर्षि टंडन कोई सांस्कृतिक सम्मेलन कर रहे हैं । वह सम्मेलन वहाँ हुआ और उसका विवरण मैं ने पढ़ा । जान पड़ा कि संस्कृति के सन्ध में राजर्षि टंडन का मत भी भिन्न है । महर्षि पं० मदनमोहन मालवीय जो कुछ सनातनधर्म-सम्मेलन में कहा-किया करते थे, प्रायः वही सब राजर्षि टंडन के सांस्कृतिक सम्मेलन में हुआ । इस सांस्कृतिक संस्था को राजर्षि ने स्थायी सगठन का रूप दिया, पर आगे कुछ खास काम हुआ नहीं । अधिवेशन होते रहते हैं ।

वैसा सगठन बनाने की शक्ति मुझ में नहीं है, विचार भर दे सकता हूँ । मैं ने सुना- 'हिन्दुस्तानी विरादरी' नाम की संस्था कुछ लोगों ने बनाई है । कुछ आशा बँधी कि इस संस्था के द्वारा शायद हिन्दू-मुसलमानों में सांस्कृतिक एकता लाने का उद्योग किया जाए । परन्तु बेकार । वे ही 'ढाक के तीन पात' । एक विरादरी जिस दिन बन जाएगी, देश का सौभाग्य जाग उठेगा । परन्तु यहाँ तो उलटी दिशा लोग पकड़ते हैं । 'हिन्दुस्तानी विरादरी' में भी वे दो तत्त्व स्पष्ट अलग दिखाई देते हैं ।

इधर मेरे साहित्यक मित्रों ने भी सांस्कृतिक विचार-बारा

प्रकट की है। ऊँची-ऊँची परीक्षाओं में 'संस्कृति' भी एक विषय बन गया है। परन्तु गाड़ी वहीं है — जरा भी आगे नहीं बढ़ी। संस्कृति का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं हुआ। यहाँ तक लिख देते हैं कि संस्कृति की स्पष्ट परिभाषा करना सम्भव नहीं है।' हठ हो गई। यदि ऐसा ही है, तो फिर ये पोथे क्यों रचे जा रहे हैं? संस्कृति की स्पष्ट परिभाषा इस ग्रन्थ में मिलेगी। इसी लिए यह उद्योग है। जो कुछ अन्य साम्प्रदायिक ग्रन्थों में और महाग्रन्थों में लिखा गया है, उसका पिछले पेपण यहाँ न होगा। लोगों ने इतिहास, मत-महजब और वर्म-सम्प्रदाय आदि के बयानों के जमघट को और उन के इतिहास को संस्कृति-ग्रन्थ समझ लिया है। यह गलत बात है।

भारतीय संस्कृति के चार युग बीत चुके, पाँचवाँ शुरू है। इन साम्प्रदायिक युगों को हमारे मित्र श्री 'दिनकर' जी ने 'अध्याय' नाम दिया है। मैंने भी उन्हीं का अनुसरण किया है। इस पुस्तक में इस वर्तमान (पाँचवें) अध्याय के बारे में ही विशेष रूप से कहा जाएगा। चार पिछले अध्याय तो समाप्त हो चुके। उनमें जो गलती हुई है, उसे इस पाँचवें अध्याय में सुधार लेना चाहिए। इसी और इस पुस्तक का प्रयत्न है।

## चार अध्याय

संस्कृति के पिछले चार अध्याय साफ हैं — पहला अध्याय, वैदिक और द्रविड मिलन, या आर्य-द्रविड संगम। दूसरा अध्याय—भारतीय संस्कृति में शक हूण आदि का मिलन। तीसरा अध्याय भारतीय संस्कृति से अरबी-ईरानी तुर्की संस्कृतियों का मेल और परस्पर एक दूसरी से इनका प्रभावित होना। चौथा अध्याय—भारत में अंग्रेजी राज्य और ईसाइयत का प्रचार। पाँचवाँ अध्याय अब शुरू है, स्वराज्य में—साम्प्रदायिक पर्य-

वेक्षण और एकता के लिए प्रयत्न ।

हम बौद्ध संस्कृति को पृथक् नहीं मानते । वह भारतीय संस्कृति है । हाँ, भारत के बौद्धों की भारतीय संस्कृति है, जापान के बौद्धों की जापानी संस्कृति । चीन के बौद्ध चीनी संस्कृति के हैं । यानी मजहब और चीज है, संस्कृति और चीज ।

इस पुस्तक में चार अध्यायों का सामान्य दिग्दर्शन होगा और पाचवें का कर्त्तव्य-निरूपण । चार अध्याय तो पाचवें अध्याय की भूमिका या पूर्वपीठिका भर हैं । परन्तु भूमिका या पूर्वपीठिका ही तो आधार है । उसी के सहारे आगे की चीज है ।

मुझे पता है, इस पुस्तक से एक हलचल मचेगी । पुस्तक की सफलता भी इसी में है । साम्प्रतिक एकता के लिए कबीर, अकबर, नानक, गांधी आदि एक से एक बड़े महात्मा ने जान की बाजी लगा कर उद्योग किया, पर सफलता किसी का न मिली । इस का कारण क्या है ? इसी की खोज इस पुस्तक में है । संस्कृति की खोज । 'डिस्कवरी आफ कल्चर'

कनखल (३००प्र)  
श्रावणी २०१३ वि०

— किशोरीदास वाजपेयी



# समर्पण

उन राष्ट्रीय तत्त्वों को, जो इस युग में भय और प्रलोभन से ऊँचे उठ कर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ।

— लेखक

# संस्कृति का पाँचवाँ अध्याय

(१)

## संस्कृति का स्वरूप

संस्कृति है क्या चीज, इस पर पहले विचार करना है। 'संस्कार' और 'संस्कृति' सगे भाई-बहन हैं, यानी एक ही घातु से, एकही उपसर्ग से एक ही प्रक्रिया से ये दोनों शब्द बने हैं; पर अर्थ में किञ्चित् भेद हो गया है। अर्थ-भेद न होता, तो शब्द-भेद ही क्यों होता ? 'अर्थभेदात् शब्द-भेद.' या 'शब्दभेदात् अर्थभेद.'। 'दुर्गति' और 'दुर्गमन' में अन्तर है।

'संस्कार' शब्द के दो अर्थ मुख्य हैं— १- परिष्कार और २- संसर्गजन्य प्रभावविशेष। 'भाषा-संस्कार' का अर्थ है भाषा का परिष्कार। 'इस के संस्कार ही ऐसे हैं कि किसी की घात का असर नहीं पड़ता।' यहाँ 'संस्कार' का मतलब 'परिष्कार' नहीं, प्रत्युत किसी के संसर्गजन्य विचारों का या विकारों का प्रभावातिशय है। आप किसी वस्त्र में चमेली के फूल या छिला हुआ लहसुन अलग-अलग लपेट कर रख दें। घंटा-दो घंटा रहने दें। फिर फूल-लहसुन अलग कर दें। ये दोनों चीजें अलग होने पर भी कपड़े में चमेली की सुगन्ध और लहसुन की दुर्गन्ध बनी रहेगी। फूलों का या लहसुन का संस्कार कपड़े में

रह गया। इस 'संस्कार' को 'परिष्कार' न कहा जाए गा। कुछ इसी अर्थ को लेकर 'संस्कृति' शब्द चला है। किसी जाति का जीवन बहुत लम्बा होता है—हजारों वर्षों का—पचास-पचास हजार वर्ष और इससे भी अधिक का। एक जाति में जन-संख्या भी बहुत होती है—लाखों करोड़ों। तो, इतने लोग परस्पर भिन्न-वृत्ति-प्रवृत्ति के होते हुए भी कुछ बातों में एकसे होते हैं—उनकी कुछ बातें एक-सी होती हैं। एक घर में बहुत से व्यक्ति होते हैं, भिन्न-प्रकृति-प्रवृत्ति के। परन्तु वे सब रहन-रहन, खान-पान आदि में एक-में होते हैं। जाति की भी यही स्थिति है। एक घर के व्यक्तियों की परस्पर जो स्थिति है, वही एक जाति के लाखों करोड़ों जनों की भी। एक जाति के सब घर और कुटुम्ब अलग-अलग होने पर भी कुछ बातों में एक होते हैं। तभी तो एक जाति होती है। इसे कुछ अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।

घर का एक दायरा होता है, उसी तरह एक देश या राष्ट्र का भी। किसी घर में जो पैदा हो जाता है, वह उस की सम्पत्ति-समृद्धि का मालिक या हिस्सेदार कुदरती तौर पर बन जाता है। उसी तरह जिस देश में जिसका जन्म होता है, उस पर उसका न्वत्त्व स्वतः सिद्ध है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तभी तो लोकमान्य तिलक ने कहा था—'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है'। घर पर जब विपत्ति आती है, तो सब के ऊपर पड़ती है। देश पर आई हुई विपत्ति भी सबको भोगनी पड़ती है। एक घर में पैदा हुए लोग कुटुम्बी कहलाते हैं और एक देश या राष्ट्र में पैदा हुए लोगों का समष्टि नाम 'जाति' है। 'जाति' का सम्बन्ध जन्म से ही है। जिस धातु से 'जन्म' बना है, उन्हीं से 'जाति' की भी निष्पत्ति है। एक घर के लोगों में भी परस्पर कुछ भेद होता है, स्थिति में भी भेद होता है। कोई

समाज में अत्यधिक सम्मान पा लेता है, ऊँचे पद पर पहुँच जाता है और कोई साधारण स्थिति में ही रह जाता है। कोई बहुत नीचे भी गिर जाता है। परन्तु सबका कुटुम्ब एक ही है। उच्च स्थिति के सदस्य से कुटुम्ब का सम्मान बढ़ता है और नीचे से अपमान भोगना पड़ता है। इसी तरह राष्ट्र के—जाति के—किसी एक ही सदस्य से सब का सिर ऊँचा हो जाता है। और एक ही से नीचा भी हो जाता है। एक घर के व्यक्तियों के काम जैसे अलग-अलग होते हैं, उसी तरह जाति के लोग भी अलग अलग काम करते हैं—अलग-अलग स्थिति भी उन की होती है। परन्तु जाति से सब एक हैं।

उदाहरण लीजिए। हिन्दू जाति है, जिसमें हजारों वर्ग हैं, जिन का समावेश चार वर्गों में किया गया है। ब्राह्मण से लेकर भगी तक, सब एक जाति के हैं—सब का जन्म हिन्दुस्तान में हुआ है। सब के संस्कार एक-से हैं—सबकी सस्कृति एक है। ब्राह्मण से लेकर भगी तक, सभी वर्गों के हजारों स्त्री-पुरुष कहीं खड़े कर दीजिए और फिर किसी दूसरी जगह के व्यक्ति को सामने ला कर खड़ा कर दीजिए, जो उन्हें पहले से जानता न हो। फिर उस से कहिए कि इस समूह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, लुहार, चमार, भंगी आदि वर्गों के व्यक्तियों को छोट कर अलग कर दीजिए, तो वह सौ जन्मों में भी वैसा न कर सकेगा। क्यों? इसलिए कि वे सब एक जाति के हैं—सब हिन्दू हैं। सब की सस्कृति एक है। अच्छा, रूप से न सही, नाम-भेद से वह सब को पृथक् पृथक् वर्गश पहचान सकेगा? हर्गिज नहीं। ब्राह्मण कहेगा—मेरा नाम केशव, बाप का नाम रामचन्द्र। भगी भी कहेगा—नाम मेरा केशव, बाप का नाम रामचन्द्र। ब्राह्मण की लड़की भी सावित्री, सुशीला और भंगी की भी

लड़की सावित्री सुशीला । तब कैसे वर्ग-भेद होगा ? वे सब एक जाति के लोग काम अलग-अलग करते हैं, वस ! गरीब अमीर की स्थिति देखकर भी वर्ग-भेद पहचानना असम्भव है । संस्कृति की एकता ने एक जाति बना दी है । एक जाति में अनेक मत मजहब होते हैं । उस एकत्रित समूह में वैदिक सनातनी आर्य-समाजी, वैष्णव, शैव सभी तरह के लोग होंगे और अवैदिक, जैन, बौद्ध आदि भी । कुछ 'ला-मजहब' और नास्तिक भी होंगे । क्या कोई पहचान सकता है कि आर्यसमाजी कौन है और जैन कौन है ? आस्तिक और नास्तिक (जाति में) सब एक हैं । संस्कृति की एकता उन्हें पृथक् नहीं होने देती । उन का वर्गश या मतश पार्थक्य जातीय एकता का बाधक नहीं हो सकता, क्योंकि एक जाति की एक ही संस्कृति होती है और सांस्कृतिक एकता सब को एक किए रहती है ।

किसी जाति की संस्कृति बहुत लम्बे अरसे से चले आ रहे पुरखों के जीवन-प्रवाह के समुद्रित संस्कार ही हैं । वे संस्कार जाति-जीवन में इस तरह घुल-मिल जाते हैं कि उन्हें कोई अलग कर नहीं सकता ; वे संस्कार विचार में, आचार में, भाषा में, वेश-विन्यास में, खान-पान में, सर्वत्र अपनी अमिट छाप रखते हैं, यही संस्कृति है । एक संस्कृति से एक जाति की पहचान हो जाती है । एक हिन्दू ममार के किसी भी भाग में चला जाए, विशेषज्ञ जन पहचान लेंगे कि यह हिन्दू है । जो लोग हिन्दू जाति की संस्कृति से परिचित नहीं, वे कुछ न समझ पाएँगे । परन्तु कोई विशेषज्ञ भी यह नहीं बता सकता कि यह जन ब्राह्मण है, या कायस्थ है, या भगी है । कारण, ब्राह्मण-भंगी आदि पृथक् जातियाँ नहीं, वर्ग हैं । इसी तरह बढई-लुहार आदि जातियाँ नहीं वर्ग हैं । लोग भूल से उन्हें पृथक्-पृथक् जाति

कहते-समझते हैं। यदि ये पृथक् जातियाँ होतीं, तो इनकी संस्कृति पृथक् होती और संस्कृति-पार्थक्य से वे पृथक्-पृथक् सरलता से पहचाने भी जा सकते। ऐसा है नहीं। एक जाति है, एक नेशन है। इस जाति (या नेशन) का अपना राष्ट्र है—हिन्दुस्तान, भारतवर्ष।

‘हिन्दू’ न सही, ‘हिन्दुस्तानी’ सही

ऊपर हमने बताया कि हिन्दू एक जाति का नाम है, किसी मजहब या वर्ग का नहीं। परन्तु तो भी, कुछ लोग ‘हिन्दू’ एक मजहब समझते लगे हैं। पूछो, इस मजहब को किस ने चलाया ? वेदों ने ? तब जैनों को क्या कहा जाए गा ? कलकत्ते के बाबू पद्मचन्द्र जैन बहुत दिन तक हिन्दूमहासभा के मंत्री रहे। बौद्ध भी वेद नहीं मानते, परन्तु बरमा के बौद्ध ‘भिच्छु उत्तमा’ हिन्दूमहासभा के अध्यक्ष थे। हिन्दुओं में ला-मजहब और नास्तिक भी हैं—सदा रहे हैं। इन्हें कभी किसी ने ‘गैर-हिन्दू’ नहीं कहा। तब ‘हिन्दू’ एक मजहब कैसे ? अधिक से अधिक कहा जाए गा कि—

‘जो (हिन्दुस्तान न सही) भारतवर्ष से बाहर पैदा हुए ईश्वरीय दूत (पैगंबर) हजरत ईसा या हजरत मुहम्मद साहब के मत को नहीं मानते, वे सब हिन्दू हैं।’

हम निपेधात्मक परिभाषा माने लेते हैं और ‘हिन्दू’ तथा ‘हिन्दुस्तान’ की जगह ‘भारत’ तथा ‘भारतीय’ कहेंगे। भारत एक देश या राष्ट्र और ‘भारतीय’ एक जाति। ‘भारतीय’ जाति की एक संस्कृति—‘भारतीय संस्कृति’। अब इस संस्कृति के कोई भेद न होंगे। बौद्ध संस्कृति, जैन संस्कृति, वैष्णव संस्कृति, नास्तिक संस्कृति जैसे काल्पनिक भेद उपहासास्पद हैं। ‘लुहार-संस्कृति’ और ‘वढई-संस्कृति’ भी मजाक है। इसी तरह

‘हिन्दू संस्कृति’ और ‘मुस्लिम संस्कृति’ के भेद न होंगे। एक ‘भारतीय संस्कृति’। बंगाल के (स्वर्गीय) राज्यपाल श्री हरेन्द्र कुमार मुकर्जी ईसाई थे। उन्हें या उनकी गृहिणी को देख कर क्या कोई पहचान सकता था कि ये ईसाई हैं ? असम्भव। मैंने उनके दर्शन कलकत्ते में एक सांस्कृतिक समारोह में किए थे। सफेद चुन्नटदार धोती, कुर्ता और बस। श्रीमती मुकर्जी एक सादी साड़ी पहने थीं। परन्तु मुकर्जी साहब ईसाई पक्के थे। जन्म भर एक मिशन में काम किया था और मृत्यु पर ईसाई-पद्धति से अन्त्य किया उनकी हुई थी। बंबई के भूतपूर्व राज्यपाल श्री महाराजसिंह भी ईसाई हैं। राजकुमारी अमृतकौर भी ईसाई हैं। इन लोगों के नाम-रूप से कोई भी इन्हें हिन्दुओं से भिन्न नहीं कर सकता। ये भारतीय जाति के हैं, मजहब से ईसाई हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष श्री व्योमेशचन्द्र चक्रवर्ती भी ईसाई थे। यहाँ (गुरुकुल कांगड़ी के जलसे पर) एक बड़े विद्वान ईसाई पादरी आर्य-समाज का खण्डन करने आए थे—‘पं० जगन्नाथ राव’। उनके लड़के का नाम ‘पं० कृपानाथ राव’। “राव” मराठा ब्राह्मण होते हैं। मैंने पं० जननाथ राव से घर का हाल पूछा। ईसाई हो जाने के बाद उन का विवाह जिस स्त्री से हुआ, वह जन्मना मुसलमान थी और ईसाई हो जाने पर भी उसका पूर्वनाम (‘हमीदा’) बदला नहीं गया था। पं० जगन्नाथ राव ईसाई मजहब के बड़े कट्टर प्रचारक थे। हरिद्वार में भी एक मिशनरी केन्द्र है। यहीं वे बस गए थे। उनका लड़का ‘कृपानाथ राव’ स्कूल में मेरा शिष्य रह चुका है, अब संना में अन्धे पद पर है। पं० जगन्नाथ राव की लड़की का नाम ‘मृदुला’ था। मैंने पं० जगन्नाथ राव से पूछा—‘आप ईसाई हो जाने के बाद भी ‘राव’ है ?’ बोले—‘मजहब बदला है, या पुरखे भी बदल दिए ?’ उत्तर बहुत ठीक था। तबलापर-गुरुकुल

महाविद्यालय के आचार्य प० नरदेव शास्त्री भी 'राव' हैं। इनका अपना असली नाम 'नरसिंह राव' है। लाहौर में इनके विद्यागुरु आर्य-विद्वान् ने 'नरदेव' नाम कर दिया था। मैं ने प० जगन्नाथ राव से कहा—'तो फिर राव जी तो आप के ही वर्ग के हैं।' (महाविद्यालय में प० नरदेव शास्त्री को सब लोग 'राव जी' ही कहते हैं)। मेरे प्रश्न के उत्तर में प० जगन्नाथ राव ने कहा—'हाँ हम दोनों 'राव' तो हैं, पर ये वेदों के माया-जाल में पड़े हैं, मैं बाहर निकल कर प्रकाश में आ गया हूँ।' मैं ने प० जगन्नाथ राव से विदेशी मिशनरियों के वारे में भी बात-चीत की थी। मैं ने कहा—'ये, लोग तो अराष्ट्रीयता फैलाते हैं। आप का इन से क्या मेल?' उन्होंने कहा—'उन लोगों की जातीयता (नेशनलिटी) जरूर भिन्न है, पर हम तो ईसाइयत के प्रचार में साथ हैं। जातीयता में हम अलग हैं। जातीयता में हम आप के साथ हैं। मजहब में अलग हैं।'

संक्षेप यह कि 'भारत' एक राष्ट्र 'भारतीय जाति' यानी 'भारतीयता' जाति और इस जातीयता को अभिव्यक्त करने वाली एक 'अपनी' संस्कृति है।

### बाहर के लोग

जिस घर में जिसका जन्म होता है, वह उस पर स्वामित्व रखता है और अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखता है, अपने पुरखों के सस्कार लेकर चलता है। परन्तु ऐसा भी देखा जाता है कि किसी दूसरे घर में पैदा हुए लड़के को लोग 'गोद' ले लेते हैं और वह इस नये घर में आकर इसका मालिक बन जाता है। परन्तु गोद आए हुए लड़के को इस नये घर को ही 'अपना' घर समझना होता है। इसी घर के पुरखों को वह अपनाता है और इसी के आचार-विचार ग्रहण करता है।



परन्तु इस के मन में कदाचित् यह भी रह सकता है—रहना स्वाभाविक है—कि मैं इस घर में आ गया हूँ, पर मेरा असली अपना घर तो वह है। यानी ममता उधर भी रहती है, रह सकती है। परन्तु इस (गोद आए हुए) लड़के और लड़कों के लड़के आगे उस की ममता एकदम छोड़ देते हैं, जहा से उनका वह पिता या पितामह गोद आया था। वे सुनी-सुनाई बातों से इतना जानते भर हैं कि हमारे पितामह अमुक जगह से गोद आए थे। और आगे चल कर वह स्मृति भी प्रायः नहीं रहती।

इसी तरह एक जाति किसी दूसरी जाति के घर में—उस के राष्ट्र में—पहुँच जाती है। वहाँ यदि पहुँच युद्ध आदि के द्वारा विजेता के रूप में है, तो कुछ दिन तक गुप्त-प्रकट संघर्ष रहता है और फिर मेल हो जाता है। धीरे-धीरे यह नई आई हुई जाति नई जगह को अपना लेती है—उसी में घुल-मिल जाती है और वह अनेकता पुनः एकता में परिणत हो जाती है। ऐसी स्थिति में 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति'—बहुत्व के आधार पर नाम-रूप ग्रहण होता है। जो धारा पहले से प्रतिष्ठित है जो आधिक्य से भी है, उस का नाम-रूप रहता है। दूसरी उम्मी में विलीन हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि इस 'सगम' के बाद न 'गंगा' और न 'यमुना' नाम रहे, वरन 'मिश्रित' नाम की कोई नई ही नदी बन जाए। यह भी नहीं कहा जाता कि प्रयाग में गंगा और यमुना दोनों समाप्त हो गईं और एक तीसरी ही नदी बन गई और इस 'मिली-जुली' नई नदी का नाम 'शलाहावादी' नदी रख दिया जाए। गंगा में प्रारम्भ से लेकर नमुद्र पर्यन्त हजारों नद-भरने मिले हैं। और वीसों नदियाँ मिली हैं। दम-पाँच तो बड़ी बड़ी नदियाँ मिली हैं। परन्तु सब रीं वह मिली-जुली धारा रही आखिर 'गंगा' ही।

इसी तरह भारतीय जाति में—‘इंडियन नेशन’ में—बाहर से आ-आ कर शक, हूण आदि न जाने कितनी जन-धाराएँ मिलीं और खप गईं। आज कौन कहता है कि हमारे पुरखे शक या हूण थे ? सब भारतीय रंग में रँग गए। किसी को शकों या हूणों का वंशज कह दो, तो वह गाली समझता है। मैं ने एक बार शब्द-व्युत्पत्ति के लिहाज से ‘सक्सेना’ तथा ‘भटनागर’ जनों को शकों आदि से कह दिया, तो लोगों ने बहुत बुरा माना। बुरा मानने की बात भी थी। भारतीयता के रंग में शराबोर कोई जन-वर्ग अपने को किसी पर-राष्ट्र से अनुस्यूत कैसे कह सकता है ? दूसरा कोई वैसा कहे, तो वह बुरा क्यों न माने गा ? मतलब यह कि शक-हूण आदि की चर्चा केवल इतिहास में है, यद्यपि उनके बड़े बड़े समुदाय यहाँ रहे और इस देश पर शासन किया। फिर घुल-मिल गए। किसी ने उन विजातीय जनों की ‘भारतीय जाति’ में मिलाने के लिए कोई उद्योग नहीं किया। कोई ‘शुद्धि-सभा’ नहीं बनाई गई। इतिहास में ऐसा कोई जरा भी सकेत नहीं है। वे सब स्वतः भारतीय बन गए। अपने बच्चों के नाम भारतीय भाषा में रखने लगे यहाँ का रहन-सहन और आचार-विचार ग्रहण कर लिया और बस। मत-मजहब चाहे जो मानते रहो। एक जाति में सैकड़ों मत-मजहब रह सकते हैं। कोई ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता, दोनों ही ‘भारतीय’ हैं, यदि भारतीयता उनमें है। जब तक कोई विदेशी रँग-ढँग में डूबा रहे गा, तब तक वह ‘भारतीय जाति’ या ‘इंडियन नेशन’ का न समझा जाए गा। हो नहीं सकता, कोई हजार कहना समझता रहे।

शक और हूण आदि तो ‘भारतीय’ बन कर हम में

मिल-खप गए, पर आगे आने वाले कई जातियों के लोग न मिल सके—न मिले। मजहब की आड लेकर एक पृथक् संस्कृति का निर्माण कर लिया गया। जब दो संस्कृतियाँ हैं, तो दो जातियाँ बन ही गईं। 'संस्कृति' और 'जातीयता' प्रायः एक ही चीज हैं। 'हिन्दूपन' और 'हिन्दू संस्कृति' एक चीज समझिए। 'हिन्दू' तो एक जाति, जिस में हजारों मत-मजहब और वर्ग, या दल हैं। परन्तु 'इस्लाम' एक मजहब है, जाति नहीं। इस मजहब के आधार पर भारत में एक नई संस्कृति का निर्माण किया गया, जिसे सब लोग 'मुस्लिम संस्कृति' कहते हैं। एक जातीय संस्कृति, या राष्ट्रीय संस्कृति और दूसरी मजहबी संस्कृति। तुर्क-संस्कृति, अरब-संस्कृति, ईरानी संस्कृति, चीनी संस्कृति आदि की तरह ही 'हिन्दू संस्कृति' है, राष्ट्रपरक, न कि मत-परक। 'हिन्दू संस्कृति' और 'भारतीय संस्कृति' पर्याय-शब्द हैं। दूसरे लोग जब 'हिन्दू' एक मजहब समझने लगे, तब 'भारतीय संस्कृति' शब्द चला। परन्तु 'मुस्लिम संस्कृति' के साथ-साथ 'हिन्दू संस्कृति' शब्द भी चलता ही रहा, चल ही रहा है और आगे चलेगा भी। शब्द कहाँ तक छोड़े जाएँगे। 'हिन्दू' भी भारतीय जनों को विदेशी जनों ने ही कहना शुरू किया था। इस शब्द का 'सिन्धु' से सम्बन्ध है, किसी मजहब से नहीं। इस लिए हमने—भारतीयों ने—इसे ही ग्रहण कर लिया। सिन्धु (सिन्ध नदी) से लेकर सिन्धु (पूर्वी-दक्षिणी समुद्र) पर्यन्त, समग्र भू-भाग, आगे चल कर 'हिन्द' कहलाने लगा। 'हिन्द' एक राष्ट्र और उस की जाति 'हिन्दू' जैसे 'नहर' से 'नेहरू'। जब 'हिन्दू' शब्द को लोग मजहब में द्रायिल करने लगे, तो 'हिन्दी' शब्द चला। परन्तु इस 'हिन्दी जाति' का निर्माण, या उस जाति का नया नाम होने पर भी वह पृथक् ही रही। जब दो संस्कृतियाँ,

तो दो जातियाँ, तब दो राष्ट्र । आगे चल कर इस भिन्न संस्कृति-मुस्लिम तहजीब—के आधार पर एक राष्ट्र के दो टुकड़े किए गए । बीच से नहीं, कहीं—कहीं से । जहाँ जहाँ 'मुस्लिम संस्कृति' या इस्लाम की प्रधानता थी, सब को काट-जोड़ कर एक नया राष्ट्र बना—'पाकिस्तान' ।

परन्तु वचे हुए भारत में अब भी वह दूसरी संस्कृति है, उस संस्कृति के अभिमानों यहाँ कितने ही करोड़ हैं । ये लोग अब भी माँग करते हैं कि इस देश की भाषा इसी देश की लिपि (नागरी) में ही नहीं, फारसी लिपि में भी लिखी जानी चाहिए और इस भाषा में संस्कृत के नहीं, अरबी-फारसी-तुर्की आदि के शब्द रहने चाहिए । भन्न-संस्कृति के अनुरूप ये लोग सभी बातों में भिन्नता बनाए हुए हैं । अभी परसो (ता० १७-८-५६) की बात है—अखबारों में छपी है कि मुहर्रम के दिन एक बहुत बड़ी मुस्लिम भीड़ ने एक मन्दिर के सामने 'पाकिस्तान जिन्दावाद' के नारे लगा-लगा कर आसमान गुँजा दिया । हैदरावाद आदि में पाकिस्तानी झंडा फहराने की कई घटनाएँ सामने आ चुकी हैं । भला इस्लाम से और 'पाकिस्तान जिन्दावाद' से क्या सम्बन्ध ? कभी कोई अफगान या ईरानी मुसलमान भी 'पाकिस्तान जिन्दावाद' और 'अफगान मुर्दावाद' के नारे लगाता है ? कभी चीन के मुसलमानों ने भी, वहाँ के बौद्धों या ईसाइयों से झगड़ कर, 'पाकिस्तान जिन्दावाद' या 'अरब जिन्दावाद' के नारे लगाए हैं ? असम्भव । उन लोगों में राष्ट्रीयता है, जातीयता है और मजहब-उस (राष्ट्रीयता या जातीयता) पर हावी नहीं हो सकता । राष्ट्रीयता ही आगे बढ़ेगी । चीन बौद्ध देश है, बुद्ध की मान्यता वहाँ सर्वोपरि है । परन्तु इस का मतलब यह नहीं कि बुद्ध की जन्मभूमि (भारत) के वे

मानसिक गुलाम हों। वे सब चीनी पहले हैं, बौद्ध आदिवाद में। पुराणों से तो यह भी पता चलता है कि बौद्ध चीन ने बुद्ध के इस देश (भारत) पर सैनिक आक्रमण भी एक बार किया था। और यहाँ से पराजित होकर गया था और प्रतिज्ञा की थी कि “इस तरह राजनैतिक दृष्टि से आगे चीन कभी भी इधर मुँह न करेगा।” मतलब इतने से कि मजहब से ऊँचा दर्जा राष्ट्रीयता या जातीयता का है। जाति ही नहीं, तो मजहब कहाँ रहेगा ?

जो बात भारत में है, वही पाकिस्तान में है। पश्चिमी पाकिस्तान से ‘नापाक’ लोगों को, तहस नहस करके, भगा खदेड़ दिया गया है और इस तरह यह भाग तो पाक हो गया है, पूरी तरह। परन्तु पूरबी पाकिस्तान में अभी भी बहुत से भारतीय बने हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि बँगला भाषा और बँगला लिपि का यह महत्त्व है। इस्लामिक संस्कृति वाले भी अपने काम में बँगला भाषा और बँगला लिपि का प्रयोग करते हैं। यों दोनों जगह एक भाषा और एक लिपि है। इसी एकता के कारण करोड़-डेढ़-करोड़ भारतीय अभी वहाँ हैं, यद्यपि धीरे-धीरे निकाले जा रहे हैं। यानी, पाकिस्तान के भी एक भाग में अभी तक भारतीय संस्कृति है। इन दो संस्कृतियों का परिणाम वही हो सकता है जो होता आया है। हो सकता है कि कभी स्वतन्त्र राष्ट्र पाकिस्तान में भी राष्ट्रीयता का उदय हो और फजलुल हक जैसे अरबी नामों की जगह बँगला भाषा के शब्दों में बंगाली मुसलमान अपने बच्चों के नाम रखने लगे और अरबी-ईरानी रहन-सहन आदि की जगह बंगाली रहन-सहन आदि अपना लें। हो सकता है, सिन्ध और पंजाब के मुसलमान भी अरब की

भाषा में नहीं अपनी (सिन्धी-पंजाबी) भाषा में अपने वचनों के नाम रखकर सिन्धी और पंजाबी रहन सहन अपना लें। तब तो एक राष्ट्र, एक संस्कृति ठीक। सम्भव है भारत के मुसलमानों से पहले पाकिस्तानी मुसलमानों में राष्ट्रीयता का जागरण हो और वे 'अल्लावख्श' की जगह 'ईश्वरदत्त' नाम से अधिक प्यार करें। मजहब तो मना नहीं करता। हजरत मुहम्मद साहब ने, या दूसरे किसी पैगंबर ने तो कहीं किसी हुक्म में ऐसा कहा नहीं कि मुसलमान जहा पैदा हुआ हो वहाँ को भाषा में उस का नाम न रहे और वहाँ के रीति-रिवाज वह न माने। पाकिस्तान के मुसलमान स्वतन्त्रता का अनुभव करते हैं; इस लिए उन में राष्ट्रीयता का जागरण अधिक सम्भव है! तुर्क-नेता कमाल पाशा के हाथ में जब प्रभुसत्ता आई तो उन्होंने अपने नाम का एक अंश बदल लिया था। 'पाशा' की जगह 'अतातुर्क' कर दिया था; इस लिए कि 'पाशा' अरब भाषा का शब्द है; 'अतातुर्क' तुर्की भाषा का है। इस जोर से राष्ट्रीयता को पकड़ने का फल यह हुआ कि तुर्क-राष्ट्र ऐसा शक्तिशाली हो गया कि संसार उधर देखने लगा। कमाल अतातुर्क ने इस्लाम नहीं छोड़ा, उसकी और प्रतिष्ठा की, परन्तु राष्ट्रीयता का जय-घोष किया। इस्लाम का मतलब यह तो नहीं कि किसी दूसरे देश के मानसिक गुलाम बन जाओ।

परन्तु भारत में और पाकिस्तान में अभी बहुत संख्या उन लोगों की है, जो मजहब को राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय संस्कृति से भी ऊपर मानते समझते हैं। हम यह भी मान लेते हैं, मजहब को सबसे ऊपर समझिए, परन्तु मजहब के नाम पर दूसरे देशों की मानसिक दासता तो मजहब नहीं है। दोनों चीजें अलग अलग हैं।

संस्कृति का यह पाँचवाँ युग या पाँचवाँ अध्याय भारत में चल रहा है, जिस में पाकिस्तान भी सम्मिलित है। राजनैतिक या शासनिक दृष्टि से राष्ट्र के दो भाग हो गए हैं—संस्कृति-भेद के नाम पर। परन्तु वस्तुतः दोनों भागों की संस्कृति एक है, जिसे आगे चल कर लोग समझेंगे। इस पाँचवें सांस्कृतिक युग का यह सब से बड़ा महत्त्वपूर्ण काम है कि हम लोग संस्कृति का सही रूप समझ कर मिथ्याभिमान छोड़ दें। इससे 'एक जाति' का निर्माण होगा—एक जाति का महत्त्व समझ में आएगा—और राष्ट्र एक सूत्र में बँध कर तेजस्वी होगा।

### संस्कृति के प्रादेशिक तत्त्व

किसी बहुत बड़े राष्ट्र के अङ्ग-उपाङ्ग (प्रदेश-मण्डल आदि-) इतने इतने बड़े होते हैं कि ससार के छोटे-छोटे स्वतन्त्र राष्ट्रों को अपनी गोद में बैठा सकते हैं। ऐसे बड़े राष्ट्रों में एक भारत वर्ष भी है। ऐसी स्थिति में जीवन का रहन-सहन और बोली-भाषा आदि में अन्तर आना स्वाभाविक हो है। यही अन्तर अवान्तर संस्कृतिभेद करता है। यदि अमरीका या रूस में अपने भारत के कुछ बंगाली कुछ पंजाबी, कुछ मराठे और कुछ तामिल जन इकट्ठे करी दिग्वार्ड दे, तो कोई भी कह देगा—'ये हिन्दुस्तानी हैं'। परन्तु कोई भी विदेशी यह भेद न कर सकेगा कि इन में कौन बंगाली हैं, कौन गुजराती। कोई ऐसी चीज जन्म है, जो बंगाली और गुजराती आदि में समान रूप में है। यही सामान्य वस्तु जाति-तत्त्व है। वह 'हिन्दुस्तानी-पन' है, हिन्दुस्तान की जानीयता या संस्कृति है कि लोग पहचान लेते हैं। वहाँ हिन्दुस्तानी मुसलमान में भी कोई अन्तर न दिखेगा। हम में भी हिन्दुस्तानीपन है, भले ही अन्तर कुछ हो। यह

तो हुई राष्ट्र की चीज ।

परन्तु प्रत्येक प्रदेश अपनी विशेष स्थिति रखता है । उस स्थिति के अनुसार उस का सामाजिक जीवन ढलता-चलता है । उस विशेषता के कारण हम पहचान लेते हैं कि यह बंगाली है, पंजाबी है, या गुजराती है । परन्तु मत-मजहब या सम्प्रदाय आदि से कोई नहीं कह सकता कि यह वैदिक है, या अश्वेदिक, ईश्वरवादी है, या अनीश्वरवादी । प्रादेशिक संस्कृति सब में एक मिलेगी ।

इन विभिन्न प्रादेशिक तत्त्वों को एक सूत्र में गूँथने वाली चीज है—राष्ट्रीयता, जातीयता, भारतीयता या भारतीय संस्कृति । भारतीय सभी (प्रादेशिक) भाषाओं को एक सूत्र में लाने वाली है हमारी संस्कृत भाषा । पूर्व, पश्चिम और उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों में जो जन-भाषाएँ हैं, किसी न किसी प्राकृत-अपभ्रंश के परिवर्तित रूप हैं । सभी प्राकृत-अपभ्रंशों की उपजीव्य संस्कृत भाषा रही है और आज की सभी प्रादेशिक भाषाओं की उपजीव्य भी संस्कृत ही है । दक्षिण भारत की भाषाओं का उद्गम पृथक् है, ऐसा भाषातत्त्वविद् कहते हैं । जान भी यही पड़ता है । परन्तु आज की सभी दक्षिण प्रदेशीय भाषाओं पर संस्कृत का उतना ही प्रभाव है, जितना अन्य प्रदेशीय भाषाओं पर । यों संस्कृति की उपजीव्यता ने भारत की सभी भाषाओं में एक-सूत्रता कायम कर रखी है ।

सभी प्रदेशों के पहनावे में कुछ न कुछ अन्तर मिलेगा, पर तो भी कोई ऐसी चीज है कि सब एक जना-माने जाते हैं । स्त्रियों में धोती साड़ी के रंग-रूप प्रति प्रदेश भिन्न हैं, पहनने का ढंग भी भिन्न है, परन्तु तो भी सब भारतीय हैं । सिन्दूर की बिन्दी तो सभी प्रदेशों की सौभाग्यवती स्त्रियाँ मस्तक पर



लगाती ही हैं। कोई भी भारतीय स्त्री अरबी पहनावे में न मिलेगी। भारतीय शब्द का यहाँ तात्त्विक अर्थ लीजिए।

सबसे बड़ा और सुदृढ़ एकता-सूत्र है पुरखों का एक होना। सभी प्रदेशों के भारतीय अपने को याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, राम, कृष्ण आदि का वंशज मानते हैं। एक पुरखे हैं, तब ऊपरी अनेक-रूपता अलग कैसे करेगी ?

कुछ जातीय प्रतीक होते हैं, जो सब को एक किए रहते हैं। उदाहरणार्थ गौ के प्रति जो भावना-विशेष है, वह भी जवर्दस्त तत्त्व है, एक जातीयता के निर्माण में। किसी भी प्रदेश का 'भारतीय' ऐसा न होगा, जिस की दूमरी भावना हो। जो अभारतीय तत्त्व हैं, उनकी बात अलग है।

वैदिक काल से अब तक हमारी सभ्यता में बहुत कुछ परिष्कार-परिवर्तन हुए हैं, बहुत मोड़ आये हैं, परन्तु धारा वही है। यह नहीं कहा जा सकता कि हमारा जो रहन-सहन आज है, वही वैदिक युग के हमारे पूर्वजों का था। उनकी भाषा में और हमारी आज की भाषाओं में कितना अन्तर है ? परन्तु तो भी, हमें उस परम्परा का अभिमान है और हम उन पुरखों के नाम लेकर गर्व का अनुभव करते हैं।

एक जाति या राष्ट्र में जो एक सूत्र होता है, सबको बाँध रखने वाला, वही सभ्यता है, यह कहा जा चुका है। जाति या समाज में कुछ ऐसे भी तत्त्व होते हैं, जो कुछ अलग ही चलते हैं। यदि किसी देश में मजहबी कट्टरता हुई, तो ऐसे तत्त्व एकदम नष्ट कर दिए जाते हैं—नष्ट कर दिए गए हैं, या देश में निकाल दिये गए हैं। परन्तु यदि राष्ट्र में उदागता हुई, तो वे तत्त्व भी पड़े रहते हैं। वैदिक युग में ही भारत में गौ को अधिक महत्त्व मिला। ऋषियो ने कहा कि तुम्हारा शिव (कल्याण) बेल

पर है। गौ को वेदों में 'अध्व्या' कहा गया है। यानी उसी समय से गोहिंसा जघन्य अपराध घोषित है। यह जाति-तत्त्व है। परन्तु इसके विपरीत, कुछ ऐसे भी कथानक हैं, जिनसे प्रकट है कि उस युग में भी ऐसे कुछ लोग थे, जो गौ को 'अध्व्या' नहीं स्वीकार करते थे। परन्तु इन 'कुछ' लोगों से 'जाति नहीं बनती है। आज भी वैसे 'कुछ' लोग हैं, हमारी हिन्दू जाति में, जो गौ को 'अध्व्या' स्वीकार नहीं करते और गो-भक्ति का मजाक उड़ाते हैं। परन्तु तैंतीस करोड़ की जन-संख्या में ऐसे लोगों की संख्या तैंतीस से भी कम होगी, तैंतीस से आधे भी न निकलेंगे। परन्तु तो भी, एक-दो ऐसे प्रभावशाली लोग इन 'कुछ' लोगों में हैं, जिनकी विशेषता है और इतिहास में जिनका नाम रहेगा। ऐसी स्थिति में, इनके गोविषयक विचार यदि लिपिबद्ध कर दिये जाएँ, तो दो चार सौ वर्ष बाद लोग इस भ्रम में पड़ सकते हैं कि भारतवर्ष में दो-चार सौ वर्ष पहले गौ का महत्त्व ऐसा न था ! इसी तरह हमारे पूर्वजों में भी कुछ वैसे खास व्यक्ति हो गए हैं। तो भी, वे और ये 'कुछ' लोग किसी दूसरी जाति के न हो जाएँगे, क्योंकि 'जाति' का संबन्ध जन्म से है। सबके पुरखे एक हैं। जब तक एक पुरखे हैं, उन्हें मानते हैं, तब तक विजातीय नहीं। एक जगह इधर-उधर हो जाने पर भी अन्य बातों में एक हैं। और, बहुमत की ओर लोग खिंचते ही हैं। जो कल तक गौ के 'अध्व्या' होने का मजाक उड़ाते थे, वे ही आज विधि-कानून बना रहे हैं कि "गौ अध्व्या है। इसका हनन करने वाला अपराधी है और उसे सजा दी जाएगी।" यानी जातीयता-नष्ट नहीं हो सकती, नष्ट नहीं की जा सकती, उसमें कुछ हेर-फेर जरूर होता है; सो भी स्वतः, धीरे-धीरे। सत्कार धीरे-धीरे बनते हैं, धीरे-धीरे बदलते हैं और धीरे ही धीरे नष्ट भी होने

हैं। पहले के संस्कार हटने में और दूसरे जमाने में काफी देर लग जाती है। इसी लिए किसी जाति का कोई बड़ा समुदाय जब अन्यत्र स्थायी रूप से जा बसता है, तो वहाँ की संस्कृति लेने में देर लगती है। संस्कार मन की चीज है। यदि मन उधर न हो और ऊपर-ऊपर कोई चीज ले ली जाए, तो वह चली जाएगी। टिकेगी नहीं।

### विजातीयता से संघर्ष

विजातीयता से संघर्ष होता है। ऊपर हमने बतलाया कि एक जाति की एक संस्कृति होती है और एक राष्ट्र की एक 'जाति' होती है। यदि कोई अन्यजातीय जनसमुदाय किसी अन्य राष्ट्र में जा बसता है, तो वह धीरे-धीरे वहीं घुल-मिल जाता है। परन्तु, यदि अपनी संस्कृति और जातीयता उसे अत्यधिक प्रिय है, तो फिर उससे विच्छेद सम्भव नहीं। अफ्रीका तथा लका आदि में सामूहिक रूप से भारतीय जन बसे हुए हैं।--पुस्तों से बसे हुए हैं। परन्तु वे 'भारतीय' बने हुए हैं। उन्होंने अपना हिन्दुस्तानीपन नहीं छोड़ा है। इसके लिए उन्हें कष्ट सहने पड़े—सहने पड़ रहे हैं। वे वहाँ तंग किए जाते हैं, निकाले जा रहे हैं। अफ्रीका में पिछले पचास वर्षों से यही संघर्ष चल रहा है। मजहब या सम्प्रदाय का सवाल नहीं, राष्ट्रीयता का सवाल है। अफ्रीका या लका के लोग यह समझ रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर वे लोग हिन्दुस्तान का पच लेंगे यहाँ का नहीं। इसी लिए संघर्ष है। परन्तु अफ्रीका में बसे अंग्रेज लोग भारतवासियों को गद्देडना चाहते हैं, यह देखने की बात है। जोर-जुल्म।

यदि किसी देश में डक्का-दुक्का कुछ अन्य देश के लोग जाते बसते रहते हैं, तब वैसे संघर्ष की कोई बात नहीं उठती। कोई भय नहीं, कोई घटका नहीं। जब अधिक संख्या हो जाती

है और अधिकार का सवाल उठने लगता है, तब स्थिति बदलती है। भारतवर्ष में जो विभिन्न देशों से मुसलमान आए थे, वे यहाँ मिले नहीं। उनमें अपने पुराने राष्ट्रों की राष्ट्रीयता या जातीयता का उतना जोर न था, जितना मजहब या सम्प्रदाय का और 'भारतीय' न बनने का इच्छा। फलतः तुर्क, अरब, ईरानी आदि सभी जातियों के मुसलमान मिल गए और सबकी एक संस्कृति बन गई, जिसको 'मुस्लिम संस्कृति' नाम दिया गया। यह मुस्लिम संस्कृति न तो अरब की संस्कृति, न तुर्की या ईरान की। सब गड़मगड़, और फिर उसमें हिन्दुस्तानी रङ्ग। इस मुस्लिम संस्कृति ने संघर्ष किया और देश का बँटवारा करा लिया। यानी संस्कृति-भेद से संघर्ष प्रायः हो जाता है। यदि संस्कृति-भेद न हो, केवल मत-मजहब या सम्प्रदाय का भेद हो, तो फिर जातीय संघर्ष नहीं होता। एक ही जाति है, तब संघर्ष कैसा। इसी लिए चीन में कभी भी बौद्ध-मुस्लिम संघर्ष नहीं हुआ और जापान में शिन्तो-बौद्ध संघर्ष नहीं हुआ।

### सभ्यता और संस्कृति

यहाँ तक जो कुछ कहा गया, उससे संस्कृति का रूप स्पष्ट हो गया है। सभ्यता एक पृथक् चीज है। सभ्यता सबकी एक, संस्कृति अलग-अलग। किसी को तंग करना असभ्यता है, रास्ते में कूड़ा फेंकना असभ्यता है और गंदा वातावरण रखना असभ्यता है। सभी देशों में, सभी जातियों में असभ्यता का एक ही रूप है। सभी जगह यह सभ्यता का रूप एक ही है। सो, सभ्यता और संस्कृति अलग-अलग चीजें हैं। संस्कृति संस्कार से बनती है और सभ्यता नागरिकता का रूप है।

धर्म सम्प्रदाय और संस्कृति

धारयति मानवीयम्-जगत् इति धर्मः ।

जो मानवीय जगत् की—मानवता की आधारशिला है, जिस पर मानवता टिकी हुई है, उसे 'धर्म' कहते हैं। हमारे धर्माचार्यों ने 'धर्म' का यह लक्षण किया है और उदाहरण के तौर पर 'अहिंसा, सत्य, अक्रोध, अस्तेय' आदि की विधि बताई है। ऐसी विधियों के अपवाद भी होते हैं—सभी विधियों के अपवाद हो सकते हैं। संसार के सभी सभ्य राष्ट्रों में मानवता के आधार-स्तम्भ यहीं हैं। सहयोग-वृत्ति आदि इन्हीं के अनुसार-आधार पर हैं। हमारे धर्माचार्यों ने यह कहीं नहीं बतलाया कि 'मनु ने जो कहा है, वही धर्म है' या 'राम ने जो कहा या किया, वही धर्म है।' वह तो मत, मजहब या सम्प्रदाय है, जो किसी एक व्यक्ति के पीछे आँखें बन्द करके चलना। मनु ने तो कहा है कि बुद्धि से परीक्षा करके धर्म-अधर्म का निर्णय करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि युग के अनुसार धर्म का रूप भी बदल सकता है। 'धर्म' शब्द 'कर्तव्य' के अर्थ में है। इसी लिए राजधर्म, पितृधर्म, पुत्रधर्म आदि की व्याख्या की गई है—राजा के कर्तव्य, पिता के कर्तव्य, पुत्र के कर्तव्य आदि। देश, काल, पात्र आदि के अनुसार कर्तव्यों में हेर-फेर हो सकता है। किस समय कैसी परिस्थिति आएगी कौन जानता है? मनु जी को क्या पता कि आगे देश के सामने कैसी समस्याएँ आएँगी और देश किस स्थिति में पड़ जाएगा! वहाँ तो अपनी ही बुद्धि काम देगी और कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय करना पड़ेगा। इसी लिए आचार्यों ने वैसी व्यवस्था दी है।

मत, मजहब या सम्प्रदाय अलग चीज है। बुद्ध के पीछे चलने वाले 'बौद्ध सम्प्रदाय' या 'बौद्ध मत' के हैं। परन्तु बुद्ध ने भी धर्माधर्म-निर्णय में अपनी बुद्धि लगाने का उपदेश दिया है। केवल दिशानिर्देश भर कर दिया है कि 'बहुजनहिताय' काम

करो और दया का आधार लो। वस, इतना उनका 'मत' है। आगे बुद्धि को छूट है।

साधारणतः 'आचार' या 'आचरण' धर्म के भीतर आते हैं और प्रेरक विचार भी, जो आचार का निर्माण करें। जिन विचारों का आचार से सम्बन्ध नहीं, उनकी गिनती 'धर्म' में नहीं, 'दर्शन' में है। दर्शन-शास्त्र भिन्न भिन्न हैं। कोई दर्शन ईश्वर की सत्ता मानता है, कोई नहीं। भारतीय मुनियों के सुप्रसिद्ध छह दर्शनों में प्रायः आधे ईश्वरवादी हैं और आधे अनीश्वरवादी। ईश्वरवादियों में भी परस्पर मत-भेद है। अनीश्वरवादी भी परस्पर विवदमान हैं। कोई सृष्टि-क्रम किसी तरह मानता है, कोई किसी तरह। इन दार्शनिक तत्त्व-विचारों का 'धर्म' से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं। 'चोरी करना अधर्म है।' ईश्वरवादी यदि चोरी करेगा, तो वह भी 'अधर्म' कहा जाएगा। ईश्वरवादी होने के कारण वह धर्मात्मा न हो जाएगा। 'जीवों पर दया करके उन्हें सुखी रखना चाहिए' धर्म है। एक अनीश्वरवादी यदि दुखियों की सेवा में अपने को लगा देता है—गला देता है, तो वह 'धर्मात्मा' कहा जाएगा। किसी भी मत-मजहब या सम्प्रदाय मानने वाला धर्मात्मा है, यदि वह धर्म का आचरण करता है। धर्म तो मानव मात्र का एक ही समझना चाहिए—सब का आचार एक है—'जियो और जीने दो।' देश-काल आदि के अनुसार थोड़ा-बहुत परिवर्तन और वात है। धर्म में सब मत-मजहब एक हो सकते हैं और एक संस्कृति में अनेक मत-मजहब या सम्प्रदाय हो सकते हैं, होते हैं। सम्प्रदाय या मत-मजहब का भेद परलोक-सम्बन्धी बातों में होता है—ईश्वर कैसा है, वह कैसे मिलता है; इत्यादि। इन बातों का संस्कृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सो, मत-मजहब या सम्प्रदाय एक चीज है और धर्म दूसरी चीज। संस्कृति इन दोनों से भिन्न चीज है।

(२)

## आदि गुण-आर्यद्रविड सम्मिलन

हम लोगों का विश्वास यह है कि हम आर्य जन मूलतः इसी देश के निवासी हैं, परन्तु पश्चात्य विद्वान् और कुछ 'अपने' विद्वान् भी यह कहते हैं कि आर्य जन बाहर कहीं से आए और यहाँ बस गए। वे द्रविड लोगों को यहाँ के मूल निवासी घतलाते हैं। यह भेद प्रायः भाषा की प्रकृति-प्रवृत्ति के अनुसार किया जाता है। भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और मध्य की भाषाएँ, 'आर्य भाषाएँ' कही जाती हैं। यानी पंजाबी, हिन्दी, बंगला, उड़िया, गुजराती, मराठी, आदि भाषाएँ आर्य प्रकृति की हैं और दक्षिण की भाषाएँ एक भिन्न प्रकृति की हैं। उन्हें लोग 'अर्यतर भाषा' की संज्ञा देते हैं। इस लिए कि 'अनार्य भाषा' शब्द खटकने वाला है। किसी दक्षिणात्य के आचार-व्यवहारको 'अनार्य' बतला कर देखिए कि क्या कहता है। 'अनार्य' शब्द को वह एक गाली समझता है।

सैर, मतलब यह कि 'आर्य' और 'आर्यतर' नाम के दो वर्गों में भारतीय भाषाओं को रख कर यह निर्णय दिया गया कि आर्यतर (द्रविड या दक्षिणी) भाषाओं के बोलने वाले इस देश के मूल निवासी हैं और आर्य लोग बाहर से आकर यहाँ बस-जम गए। कालान्तर में आर्य और द्रविड लोग मिल कर एक हो गए। दोनों की संस्कृति एक हो गई। आचार-व्यवहार में तथा देवी-देवताओं की उपासना आदि में भी आदान-प्रदान हुआ। यों एक 'भारतीय संस्कृति' बन गई;—न आर्य-संस्कृति, न द्रविड

संस्कृति । परन्तु आर्य और द्रविड़ दोनों हैं भी । आर्य तो सभी हैं—सब अपने को 'आर्य', कहते हैं । आर्य जन ही बाद में 'हिन्दू' कहलाने लगे । अंग्रेजी का सब से अच्छा पत्र मदरास से जो निकलता है, उसका नाम 'हिन्दू' है—'द्रविड़' नहीं ! आज कल तो 'द्रविड़' शब्द इसी तरह लिया जाता है; जैसे गुर्जर, उत्कल आदि । एक पंजाबी जन पंजाबी भी है, आर्य या हिन्दू भी । यही स्थिति सब की है ।

मतलब यह कि आर्य चाहे वाहर कहीं से आए हों और चाहे यहीं के मूल निवासी हों, वे द्रविड़ों में और द्रविड़ उनमें घुल-मिल गए, यद्यपि उनकी भाषा प्रकृतित. कुछ भिन्न आज भी है । संस्कृत ने सब भाषाओं में एक-सूत्रता ला दी है ।

यहाँ हमें एक बात प्रसंग से कह देनी है । वह यह कि आर्य और अनार्य (पारसी) पुरखों में जो एक बड़े युग तक संग्राम चलता रहा, उसका सुविस्तृत उल्लेख 'देवासुर-संग्राम' के नाम से वेदों में तथा पुराणों में हुआ है । परन्तु 'आर्य-द्रविड़' संघर्ष या संग्राम की चर्चा कहीं नहीं मिलती ! क्या कारण है ? क्या संघर्ष हुआ ही नहीं ? एक जाति वाहर से आए और पहले बसी हुई जाति को पीछे धकेल कर समुद्र तक ले जाए और उसका कहीं आभास भी पुराने ग्रन्थों में न मिले, बड़े आश्चर्य की बात है । इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि संघर्ष हुआ ही न हो !

जब इस देश में आर्य जन्म-वस गए और आर्य-साम्राज्य स्थापित हो गए, तब भी कोई संघर्ष नहीं । जब राम जी दक्षिण भारत होकर लंका विजय करने गए, तब भी कोई संघर्ष नहीं । द्रविड़ जन कुछ तो छेड़-छाड़ करते ! यह क्या बात है कि एकदम कहीं कोई चर्चा नहीं ? यह विजातीयता का लक्षण तो नहीं है !



राम जब उधर गए, तो निःसन्देह एक दूसरी स्थिति थी। 'उत्तरापथ' और 'दक्षिणापथ' शब्द प्रसिद्ध हैं। दक्षिण-प्रदेश 'दक्षिणापथ' कहलाता था। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में बहुत बड़ा घना जंगल था। आज का 'मध्य प्रदेश' जहाँ है, वहाँ भर्यकर जंगल था। इस जंगल में कोल-भील आदि वन्य जन रहते थे। उत्तर भारत के साहसी और समाज सुधार के प्रेमी महान् ऋषि जन अपने परिवारों के साथ इन भीषण वनों में जा बसते थे और वन्य जनों को सीधे रास्ते पर लाने का प्रयत्न करते थे। वन्य जन इधर-उधर की आर्य-वस्तियों में लूट-पाट करते रहते थे। ऋषि जनों के प्रभाव में आकर सुधर भी जाते थे। जब राम जी वन गए, तो इन लोगों ने कहा— 'लेहिं न वासन-वसन चुराई, इहै हमारि बड़ी सेवकाई'—आपका लटा-पटा हम नहीं चुरा लेते, यही हमारी बड़ी सेवा है! यह ऋषि जनों का प्रभाव था। 'शवर' नाम की भी एक वन्य जाति थी! इन पर भी ऋषियों का प्रभाव पड़ा था। एक वृद्ध शवरी ने राम का कैसा आतिथ्य किया था और राम ने भी उसे किस प्रेम से ग्रहण किया था, सब जानते हैं। इस तरह उन वन्य जातियों को मानव-संस्कृति में ऋषि जन ला रहे थे, यद्यपि वे समय समय पर बड़े-बड़े खतरे भी उठाते थे।

ऋषियों को ये खतरे वन्य जातियों से वैसे नहीं आते थे, जैसे कि राक्षसों से। समुद्र पाग लका नाम का एक बहुत बड़ा राष्ट्र उस समय था। वहाँ 'रक्ष-संस्कृति' थी। 'रक्ष' का अर्थ यही है कि रक्षा करने वाले, केवल आत्म-रक्षा करने वाले, यानी जो दृमगों पर आक्रमण न करें। 'रक्षम्' तथा 'राक्षस' भी कहलाते थे। परन्तु—ये लोग दूसरों पर आक्रमण किया करते थे। आज कल भी एक शब्द चल रहा है। सैनिक शक्ति को

‘डिफेंस’ अंग्रेजी में कहते हैं—आत्म रक्षा का साधन। परन्तु आक्रमण दूसरों पर कैसे-कैसे होते हैं, हो रहे हैं, सामने हुए हैं, सो भी देखिए। फिर भी ‘डिफेंस’ है ! ‘इस्लाम’ का अर्थ भी ‘शान्ति’ है न। इसी तरह ‘रक्ष संस्कृति’ थी। राजस जन समुद्र पार आकर भारतीय आर्य-साम्राज्य को अपने अधीन करने के मसूवे बाँध कर उद्योग करते थे। वे लोग द्रविड़ों को नहीं छेड़ते थे। द्रविड़ों और लंकावासियों की संस्कृति मिलती-जुलती अब भी है और लंका में अब भी तमलि लोग काफी संख्या में बसे हुए हैं। बहुत संभव है कि लंका से ही कुछ शान्तिप्रिय लोग इधर आ बसे हों और इसी लिए इन (द्रविड़ जनो) को राजस लोग उदासीन दृष्टि से देखते हों। पुराणों में कहीं भी उल्लेख नहीं कि दक्षिण के साथ शेष भारत का संघर्ष कहीं हुआ सुना नहीं कि द्रविड़ों ने (शेष) भारतीयों को सताया।

हाँ, तो लंका के चतुर और साहसी राजस इधर आकर बस जाते थे। बीच के वन्य प्रदेशों को जैसे ऋषि जन प्रभावित करते थे, उसी तरह ये लंकावासी (और भारतप्रवासी) राजस अपने कब्जे में लाने का उद्योग कर रहे थे। बीच का इतना बड़ा प्रदेश अधीन-प्रभावित कर लेने पर फिर उत्तर भारत सर करना तो बहुत सरल था। नासिक के इधर-उधर तो लंका के बड़े अधिकारी खर-दूषण ने अपने पाँव अच्छी तरह जमा लिए थे। वहीं से वे कार्य-संचालन करते थे। इन की स्त्रियाँ भी साहसी थीं, काम करती थीं। राजस लोग यज्ञ जाति से विवाह आदि भी करते थे। यह भी एक बड़ा षड्यन्त्र था। अयोध्या से कुछ ही पूर्व एक यक्ष-जनपद था। वहाँ का शासक एक यज्ञ था। उसने अपनी लड़की ‘ताटका’ का विवाह एक प्रभावशाली राजस से कर दिया था, जिससे ‘मारीच’ नाम के राजस का जन्म

हुआ। मारीच में कुछ यक्ष-(भारतीय) रक्त का भी जोर था और इसी लिए इसने वैसी प्रवृत्ति पाई थी। रावण को इसने बहुत समझाया बुझाया था, परन्तु था तो राक्षस ही। खून का बड़ा असर होता है। उस यक्ष-प्रदेश का शासक यही मारीच होता और इसका लडका पूरा राक्षस होता। परन्तु विश्वामित्र ने पहले यही काँटा निकाला। ताटका को समाप्त करा दिया और मारीच जान बचा भागा। नामिक पहुँच कर राक्षस-मण्डल में मिल गया। काम भी किया, जब तक 'काम तमाम' राम ने कर दिया।

दक्षिण प्रदेश एकदम तटस्थ था। तभी बचा रहा, नहीं तो राक्षस लोग पीस डालते। द्रविड़ प्रदेश से पश्चिम कुछ दूसरे जनपद थे, जहाँ 'हरि-संस्कृति' और ऋक्ष-संस्कृति' थी। आज के महाराष्ट्र तथा मौराष्ट्र समझिए। ऐसा जान पड़ता है कि 'ऋक्ष' नाम की प्रतिद्वन्द्विता में 'हरि' नाम रखा गया। 'सौराष्ट्र' 'महाराष्ट्र' नए नाम भी इसी तरह के जान पड़ते हैं। नक्षत्रों को 'ऋक्ष' कहते हैं। लका के लोग प्रायः कृष्ण-वर्ण होते हैं और द्रविड़ भी प्रायः इसी रंग के। मराठों का रंग वैसा नहीं होता, कुछ गेहुँआ सा होता है। कदाचित् इसी वर्ण-दृष्टि से इन लोगों ने अपने को 'ऋक्ष' (नक्षत्र) कहना शुरू किया हो। इस पर पड़ोसी लोगों ने अपने को 'हरि' कहना शुरू किया होगा। सूर्य-चन्द्र का नाम 'हरि' भी है। संस्कृत में 'ऋक्ष' और 'हरि' नाम रीछों के और वन्दरों के भी है। बाद में—या दूर के—लोगों ने इन दोनों शब्दों का गलत अर्थ समझा। भ्रम बढ़ा। इसी का परिणाम है नए नामों की कल्पना—महाराष्ट्र, सौराष्ट्र। जब हरि-प्रदेश और ऋक्ष-प्रदेश सुविस्तृत शेष आर्य-प्रदेश में मिल कर एक हो गए, तो 'महाराष्ट्र'-'सौराष्ट्र' नाम ठीक ही हुए। राष्ट्र से महाराष्ट्र। बहुत दिन बाद कहीं से गुर्जर और

जाट आए और बस गए, ऐसा लोग कहते हैं। ये पर्वतीय जन थे। गुर्जर लोग आगे बढ़े और 'गुजरात' बनाया।

इत 'ऋक्ष' और 'हरि' प्रदेशों पर भी राक्षस लोग आक्रमण करते रहते थे। अंगद-रावण सवाद में भी इसका जिक्र आया है। महावली वाली ने रावण को खूब छकाया था। समय आया, जब राम जी के नेतृत्व में ऋक्षों ने और हरि जनों ने सदा के लिये कौटा दूर कर दिया। हरि-नरेश सुग्रीव और महान् हरि-सेनापति अंगद-हनुमान ने युद्ध-कौशल दिखाया, तो ऋक्ष इंजीनियरो ने अपनी कला का कौशल प्रकट किया। परन्तु लंका देश से बैर नहीं, उस व्यक्ति को मिटा दिया, उस का प्रभुत्व समाप्त कर दिया, जो बड़े बड़े सपने देख कर संसार को तग कर रहा था। उसके भाई को ही वहाँ का 'सर्वप्रभुता-सम्पन्न' शासक बना कर सदा के लिए मैत्री स्थापित कर दी। परन्तु हमारा यह देश सीता-हरण के उस अपमान को नहीं भूला और प्रति वर्ष हम—ब्राह्मण लोग—रावण के पुतले में आग लगा कर अपनी भावना प्रकट करते हैं।

यह आश्चर्य की बात है कि लंका में भी प्रायः वही संस्कृति उस समय थी, जो कि भारत में, आर्य-जाति में। लंका में भी वर्ण-व्यवस्था थी। रावण भी ब्राह्मण था और वेदों का मार्मिक व्याख्याता था, शिव-उपासक था। जब लंका में वेद-प्रतिष्ठा और चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था थी, तो भारत के द्रविड़ों में भी जरूर रही होगी। ऋक्ष तथा हरि जनों में भी व्यवस्था थी। उस समय संस्कृत अन्तर-राष्ट्रीय भाषा थी, जैसे आज कल अंग्रेजी है। परन्तु—अंग्रेजी की तरह—देश-देशान्तरों के एक विशिष्ट वर्ग में ही संस्कृत का पठन-पाठन था। साधारण जनों की प्रादेशिक भाषाएँ अपनी थीं। संस्कृत के अतिरिक्त, देश की एक कोई

जन-भाषा भी ऐसी थी जिसे देश भर के लोग समझते-बोलते थे। इसे साधारणतः 'जन-भाषा' या 'मानुषी भाषा' कहते थे। संस्कृत 'देवभाषा' कहलाती थी, जैसे अंग्रेजी 'जेंटिल मैन'—भाषा। विशिष्ट जन 'द्विजाति' कहलाते थे—सुसंस्कृत जन। जब लका पहुँच कर छिपे-छिपे सीता से बात-चीत करने की इच्छा हनुमान् ने की तो भाषा की समस्या सामने आई। हनुमान की हरि-भाषा सीता जी न समझ सकेगी, यह निश्चय था। साथ ही न हुआ था। हनुमान जी अपनी भाषा के अतिरिक्त, देवभाषा तथा भारतीय जनभाषा भी जानते थे। उन्होंने सोचा कि संस्कृत में बात करना ठीक नहीं, क्योंकि—

‘रावणं मन्यमाना मा सीता भीता भविष्यति’

सीता समझेगी कि यह रावण संस्कृत में बोल रहा है और वे डर जाएँगी। रावण भारत की जनभाषा से परिचित न था और इस लिए अन्तर-राष्ट्रीय (संस्कृत) भाषा में भारतीयों से बात करता था। भारत की उच्चकुलीन स्त्रियाँ संस्कृत से अभिन्न होती थीं। परन्तु हनुमान ने संस्कृत में वार्तालाप करना उचित न समझा और फिर 'मानुषं वाक्यम्' का माध्यम अपनाया।

नि.मन्देह उस समय द्रविडों में भी वेद-सम्मान तथा वर्ण-व्यवस्था की प्रतिष्ठा रही होगी। आज भी वेदों का विधिवत् मन्वर पाठ जैसा दक्षिणात्य करते हैं, वैसा अन्यत्र कहीं भी सुनने में नहीं आता। बौद्ध मत ने जब भारत में वैदिक धर्म और वर्णव्यवस्था की कमर तोड़ दी, तब दक्षिण प्रदेश सामने आया और जेप सम्पूर्ण भारत का गुरु बना। शंकर, विष्णुस्वामी निम्बार्क रामानुज अदि आधुनिक युग के प्रायः सभी धर्माचार्य दक्षिणात्य थे। इस तरह दक्षिण भारत ने देश से आनृत्य प्राप्त किया—उपर से उपर जो कुछ कभी दिया गया था,

उसका भरपूर बदला चुका दिया। देश ने दक्षिण भारत का गुरुत्व स्वीकार किया। श्री शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित मठ-मन्दिरों में अब तक दक्षिणात्य ब्राह्मण ही पूजा-अर्चा करते हैं। वृन्दावन के श्रीरंग-मन्दिर के पुजारी भी दक्षिणात्य (रामानुजीय वैष्णव) ब्राह्मण ही होते हैं। द्रविड़ों में भी ब्राह्मणों के पाँच अवान्तर भेद उसी तरह हैं, जैसे उत्तर भारत में। 'पञ्च गौड़' और 'पञ्च द्रविड़' प्रसिद्ध हैं। संस्कृत साहित्य के प्रौढ़तम विद्वान् जैसे दक्षिणात्यों में हुए हैं, वैसे शेष भारत में अन्यत्र कहीं भी नहीं और उतने नहीं। आज भी यही स्थिति है।

परन्तु एक विचित्र बात है। इधर शेष भारत के आधुनिक किसी भी धर्माचार्य का प्रभाव दक्षिण भारत पर नहीं पड़ा। कबीर, नानक आदि संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ थे, इस लिए उधर प्रभाव न पड़ा होगा। महाराष्ट्र और गुजरात के सन्त भी साधारण जन-भाषा में ही उपदेश देते थे। बंगाल के कृष्ण चैतन्य देव आदि वैष्णव-आचार्य अवश्य संस्कृत का माध्यम रखते थे, पर इनकी भी पहुँच दक्षिण भारत में न हुई। समझा होगा कि जो वैष्णव धर्म दक्षिण से ही उधर गया, उसी की एक नई शाखा को यहाँ लाने की क्या जरूरत! आधुनिक 'आर्य-समाज' आदि से भी दक्षिण भारत प्रभावित न हुआ। स्वामी दयानन्द सरस्वती संस्कृत के विद्वान् थे, वेदों के व्याख्याता थे; परन्तु दक्षिण भारत में जो गम्भीर पाण्डित्य है, वह कुछ और चीज है। सम्भव है, इसी का अभिमान हो कि वहाँ किसी दक्षिणात्येतर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

अपने-अपने अन्दाजे

आर्यों और द्रविड़ों के बारे में विद्वानों के भिन्न-भिन्न अनुमान-मत हैं। पहले कह आए हैं कि कुछ लोगों का मत यह है

कि आर्य जन मूलत यहीं के निवासी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर की ओर से, कहीं से, आर्य लोग 'काकेसस' के रास्ते भारत में आए। बड़े-बड़े काफलों में एक के बाद एक प्रवाह आता रहा और पूर्वागत आर्यों को आगे धकेल कर उनकी जगह बसता चला गया। आगे धकेले हुए आर्य जन अपनी बस्ती के लिए यहाँ के मूल निवासियों को आगे धकेलते रहे। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यहाँ के मूल निवासी द्रविड हैं, जिन्हें धकेलते-धकेलते आर्यों ने समुद्र-तट तक पहुँचा दिया, पर समुद्र में डुबाया नहीं, न समूल उच्छेद किया।

परन्तु—जैसा कि हम पहले कह आए हैं—आर्य-द्रविड सघर्ष का कोई उल्लेख-संकेत हमें कहीं मिलता नहीं है। उलटे, सौहार्द के लक्षण दिखाई देते हैं। तब हम वैसे राजनैतिक या सांस्कृतिक सघर्ष की कल्पना को कैसे हृदय में बसा लें ? हम तो देखते हैं कि द्रविडों ने आर्य सांस्कृति की बहुत सी बातें स्वेच्छया ग्रहण कर ली थीं। हरि और ऋक्ष जन भी आर्य-सांस्कृति से प्रभावित थे। सम्भव है, यह सब अगम्य आदि ऋषियों के सांस्कृतिक मिशन का फल हो। लंका तक आर्य-सांस्कृति पहुँच गई थी, यद्यपि राजनैतिक दृष्टि से सघर्ष चल रहा था। सक्षेप में यही कहा जा सकता है कि आर्य-द्रविड सघर्ष की कल्पना पाश्चात्य विद्वानों ने किसी विशेष उद्देश्य से पैदा की और उसे हमारे मिर थोप दिया।

अनली चीज कुछ और जान पड़ती है। आर्य जन चाहे यहीं के मूल निवासी हों और चाहे बाहर से आए हों, पर वे चारों ओर फैले; इसमें मन्देह नहीं। कभी-कभी एक ही जाति में मन्कृत अमन्कृत वर्ग बन जाते हैं। आज भी निरक्षर और अमन्कृत जनता की अपेक्षा शिक्षित-मन्कृत वर्ग अपने को कुछ

भिन्न समझता है और बहुत से शिष्ट-संस्कृत जन ऐसी अलग वस्ती बना कर रहना पसन्द करते हैं, जहाँ जैसे (साधारण या निम्न श्रेणी के) किसी भी व्यक्ति का कोई भोपड़ा न हो ! इन बेचारों की वस्ती अलग पड़ जाती है। सम्भव है, भारत के मूल निवासियों में ही आर्य (शिष्ट) तथा वन्य (कोल-भील आदि) के दो भाग हो गए हों। जैसे-जैसे साम्प्रतिक विकास के कारण नगर बसते गए हों, जैसे ही जैसे वन और वन्य जन उधर हटते गए हों। हमारा आग्रह यहाँ यह नहीं है कि आर्य जन मूलतः यहीं के निवासी ही हैं; बाहर से आए ही नहीं। परन्तु एक सम्भावना भर दी है कि ऐसा भी हो सकता है। आर्य चारों ओर फैले।

उधर हरि तथा ऋक्ष नाम की जातियाँ जो बसती थीं और जिनका सामाजिक विकास भी स्वतंत्र रीति से होकर राज-न्यवस्था आदि सब कुछ अपना था, उनके बारे में भी वहाँ कुछ कहा जा सकता है, जो कि आर्यों के एक भाग के बारे में ऊपर कहा गया है। सम्भव है, वन्य वर्ग के ही ये दो बड़े भाग सुसंस्कृत हो कर इन दो नई जातियों के रूप में आगए हों। आर्यों की संस्कृति भी, कुछ हेर-फेर के साथ उस समय के हरि और ऋक्ष जनों में दिखाई देती है, जब कि हम रामायण आदि देखते हैं।

हरि तथा ऋक्ष जनों के प्रदेशों से पूर्व एक भिन्न प्रकृति के जन-पद अवस्थित हुए। इन्हीं को इतिहासकार सामान्यतः 'द्रविड़' कहते हैं। सम्पूर्ण भारत की आधुनिक प्रादेशिक भाषाओं से द्रविड़ भाषाओं की प्रकृति भिन्न है; परन्तु संस्कृत के कारण वे एक दम हमारे समीप हैं। इस भाषा-भेद के कारण लोगों ने आर्यों में और द्रविड़ों में भेद किया और कल्पना की यह कि



द्रविड़ यहाँ के मूल निवासी हैं और आर्य बाहर से आए। आकर इन्हें खदेड़ते-रगड़ते समुद्र-तट तक ठेल ले गए ! इस कल्पना का कोई आधार नहीं है।

ऐसा जान पड़ता है कि कुछ लोग दूर-दूर से इस ओर आए-समुद्री मार्ग से। भाषाविज्ञान वाले कहते हैं कि द्रविड़ भाषाओं में कुछ ऐसे तत्त्व हैं, जो आस्ट्रेलिया तक की भाषा में पाए जाते हैं ! सम्भव है, वहीं से साइसी लोगों के काफले चले हों और उन में से कुछ लंका में बस गए हों, कुछ समुद्र पार आ कर इस देश में बस गए हों। ये ही द्रविड़ हैं। द्रविड़ लोग लंका की अपेक्षा भारत के इस दक्षिणी अंचल पर अधिक सुख का अनुभव करते थे। अपनी स्वतन्त्र वस्तियाँ बना ली थीं और समाजिक जीवन का विकास कर रहे थे। लंका में भी द्रविड़ बसे हुए थे; इस परिचय या आत्मोपनिषत् के कारण लंका के राजस इन्हें सताते-छेड़ते न थे। यह भी खयाल होगा कि ये तो हमारे समीप हों हैं, चाहे जैसे अधिकार में किए जा सकते हैं। सम्भव है, यह सोचा हो कि ये लोग अपने ही हैं और जरूरत पड़ने पर भारत के विरुद्ध इन से काम लिया जा सकता है। उस समय राजनीति की ऐसी बातें चलती रहती थीं। राम जी तो पिता की आज्ञा से बच गए थे, निर्वासित होकर; परन्तु राजनीतिज्ञ राजसों ने समझा कि यह एक चाल है ! पिता ने एक चाल चली है और बचने में राजसों की गति-विधि समाप्त कर के लंका की ओर राजनैतिक नजर की जाने का उपक्रम है। उसी लिए सर-द्रुपण ने अपनी बहन ( शूर्पणखा ) को भेज दिया था कि जा कर विवाह कर लो और सब भेद जाकर ले आओ। राम जी भी अब समझते थे। लक्ष्मण ने नाक कान काट कर एक चेलेंज भी दे दिया था। स्त्री को—जहाँ तक हो सके—मारना न

चाहिए वस आर्य-विधि थी। रावण ने इस चेलेंज को स्वीकार कर लिया और सीता को ले जाकर एक जगह कैद कर दिया। चेलेंज था कि हिम्मत हो तो ले जाओ। और कोई बात न थी। प्रतिपत्नी को लोक-दृष्टि में गिरा कर भी अपने पक्ष में समर्थन लिया जाता है। वैसा ही कुछ हुआ हो गा, वैसा ही लिखा गया और उसी के आधार पर रावण-गृह यहाँ होने लगा।

खैर, मतलब यह है कि द्रविड जनों को लंका के राजस न छेड़ते थे; यद्यपि हरि तथा ऋक्ष जन सताए जाते थे। ये भारत के मूल निवासी समझ कर ही सताए जाते होंगे कि यदि भारत से युद्ध हुआ, तो ये लोग अपनों का ही साथ देंगे। इन दोनों उप-जातियों पर पहले अधिकार जमाकर, तब शेष भारत को छेड़ने का विचार हो गा।

परन्तु बीच के घने सुविस्तृत जंगलों में वन्य (शबर, कोल भील, आदि) भी रहते थे। यद्यपि सुसम्कृत आर्य जनों से ये दूर पड़ गए थे, बुरा भी मानते थे, लूट-मार भी करते थे, परन्तु फिर भी अपनापन निभाते थे। राजस लोग इन्हें अपनी ओर करना चाहते थे—उद्योग कर रहे थे; प्रत्येक वन में अपने शिविर बना रखे थे। उधर भारतीय ऋषि जन भी इन्हें सुशिक्षित कर के सभ्य नागरिक बनाने का उद्योग कर रहे थे। इसी बीच राम जी वन पहुँच गए!

जब राम जी वन को चले, तो लोगों ने समझाया कि दक्षिण के वनों में मत जाइए! राजसों के उपद्रव के कारण दक्षिण दिशा को लोग 'मृत्यु की दिशा' कहने लगे थे। कहते थे उधर मुँह मत करो, उधर की ओर पाँव मत बढ़ाओ।

परन्तु खतरे से कब तक और कहा तक डरा जाए? खतरे को दूर करना ही अच्छा। 'निसिचर - निकर नारि नर चोरा।'

मे प्राचीन काल का वह वन्य जीवन भी है, जिसकी कथाएँ हम पुराणों में पढ़ते हैं और साथ ही कुछ लोग वहाँ इतने शिक्षित भी हो गए हैं कि किसी भी सभ्य समाज में आसन पाने के अधिकारी हैं। अपने उस कठिनी रहन-सहन और रीति-रिवाज को ये गर्व के साथ अपनाए हुए हैं और इसी लिए शेष भारतीय जाति से पृथक् दिखाई देते हैं। परन्तु कभी न कभी ये भी सुमस्कृत भारतीय बन जाएंगे।



(३)

## शक-हूण आदि

हम पिछले परिच्छेद में कह आए हैं कि सांस्कृतिक एकता से एक महान् जाति का निर्माण कैसे हुआ। कहने को यह इतनी जल्दी कह दिया गया और आप दस मिनट में ही वह सब पढ़ गये होंगे, परन्तु वह उतना बड़ा और वैसा महत्त्वपूर्ण काम सैकड़ों वर्षों में नहीं, हजारों वर्षों में जा कर पूरा हुआ होगा। किसी संस्कृति का निर्माण होने में और उसका उस तरह भव्च्छा-प्रसार होने में समय लगता है।

एक जाति में सब तरह के मत और वर्ग रहते हैं, यह सब जानते हैं। शासन-प्रबन्ध की दृष्टि से अनेक जगह विखरे हुए लोगों में भी सांस्कृतिक एकता रहती है, रह सकती है। लंका में राक्षस राज्य और दक्षिण में द्रविड-राज्य, उधर हरि-राज्य और ऋक्ष-राज्य, कहीं यक्ष-राज्य, और कहीं नाग-राज्य। इधर उत्तर भारत में सूर्यवंशीय और चन्द्रवंशीय क्षत्रिय-राज्य। यों एक संस्कृति और एक जाति बन जाने पर भी शासनिक एकता नहीं। कभी-कभी एक दूसरे पर चढ़ाई भी कर देते थे। कभी कोई पराक्रमी बहुत से राज्यों पर अपना अधिकार जमा कर छोटा-मोटा साम्राज्य बना लेता था। इस तरह तलवार के जोर से बनाए हुए साम्राज्य कभी छिन्न-भिन्न भी हो जाते थे। ऐसी स्थिति में बाहरी आक्रमण संभावित ही है। लोगों ने आक्रमण किए। शक-हूण आदि न जाने कितनी बाहरी जातियों ने इस देश पर आक्रमण किए। संगठित मुकाबला न हो सकने के कारण

वे घुस आए और बहुतों ने यहाँ बहुत दिनों तक शासन किया । चूँकि यहाँ कोई एक ही मजहब रखने की कट्टरता न थी—मजहबीपन न था—सब लोग स्वतंत्रता से चाहे जो मत मानते थे, या नहीं मानते थे, इस लिए कोई साम्प्रदायिक संघर्ष न हुआ । बाहर से विजेना के रूप में समय समय पर आए हुए शक-हूण आदि इसी हिन्दू जाति में खप-मिल गए । कोई क्षत्रिय कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य और कोई लुहार-बढ़ई आदि बन गए । उन्हें किसी ने कभी शुद्ध कर के किसी वैदिक या अवैदिक सम्प्रदाय में नहीं मिलाया, वे स्वयं मिल गए । कितने ही विदेशी शासक यहाँ के 'भागवत' सम्प्रदाय में मिल गए थे । प्राप्त शिलालेखों में उनके लिए 'महाभागवत' विशेषण बड़े ही गर्व से दिया मिलता है । आगे चल कर तो यह भी सब भूल गए कि हमारे पुरखे शक थे, या हूण । सब हिन्दू—न कोई शक है न हूण ।

अमरीकी 'नेशन' बने अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, इस लिए वहाँ के लोगों को मालूम है कि हम अंग्रेज पुरखों के वंशज हैं या स्पेन, जर्मन इटली, फ्रांस आदि के रक्त से हैं । यह जानते हुए भी अपनी नई जाति का उन्हें अभिमान है, यद्यपि अंग्रेजी नस्ल की प्रमुखता के कारण वहाँ अंग्रेजी भाषा और कुछ अंग्रेजियत की छाप है । यह सब को स्वीकार है । फ्रांस, स्पेन, या इटली आदि की नस्लें यह नहीं कहती कि हमारी (फ्रांस आदि की) भाषाएँ भी यहाँ चलनी चाहिए । उन सबने एक पृथक् जातीयता या राष्ट्रीयता का निर्माण कर लिया है । कालान्तर में लोग भूल जायेंगे कि हम किस (दुमरे) देश के वंशज हैं । वैसा कहना सम्भन्धना उन्हें मए भी शायद न होगा । परन्तु वहाँ के मूल निवासी (नीग्रो) लोगों को वे आज भी पृथक् समझते हैं और गायब बहुत दिनों तक समझते रहें । हमारे देश में वैसा या

उतना भेद-भाव कभी नहीं रहा । रामायण आदि की कथाओं से भी स्पष्ट है । सम्भव है—जैसा कि हम पीछे कह आए हैं—भारत के कोल- नीलो को यहाँ का मूल निवासी कहना और आर्यों को बाहर से आए हुए बतलाना एक भ्रमात्मक कल्पना ही हो और इसी देश के मूल निवासी नागरिक (शिष्ट, आर्य) तथा वदितर (वन्य, जगली), इन दो भेदों में विभक्त हो गए हों । जो नागरिक वन्धन-व्यवस्था पसंद नहीं करते, वे जंगल में रहेंगे ही और जो वन्य जन संस्कृत होंगे, वे वस्ती बसा कर एक जगह सहयोगपूर्वक रहेंगे ही । वस्तीदारी का जीवन ही संस्कृत-विकास का मूल है । नागरिकता, वस्तीदारी का जीवन, आर्यत्व एक ही चीज है । सो, आदि काल में इस देश के निवासी जीवन-भेद के कारण दो भागों में बँट गए हों, यह आश्चर्य की बात नहीं । इसके विपरीत, यह मान लेने पर भी कि आये बाहर से इस देश में आए, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं । इस देश के तथोक्त मूलनिवासियों के साथ आर्यों ने वैसा हिंसात्मक वर्ताव नहीं किया, जैसा कि अमरीका में आज नीग्रो लोगों के साथ किया जाता है । जो कोल-भील नागरिक-जीवन स्वीकार कर लेते थे, उन्हें सब सिर-माथे लेते थे । सुप्रसिद्ध रानी दुर्गावती एक क्षत्रिय-कन्या थी, जिसने अकबर से लोहा लिया था । उसका विवाह एक गोंड शासक से हुआ था, जिसकी राजधानी जबलपुर के पास (गढ़ा मांडला) थी । गोंड एक वन्य वर्ग, जिसे इतिहासकार भारत का मूल निवासी मानते हैं । गोंड शासक से विवाह संबन्ध कर देने से किसी ने उस क्षत्रिय शासक का वहिष्कार नहीं किया था । अमरीका में कोई 'शिष्ट' किसी नीग्रो को अपनी लडकी व्याह दे, तो उसकी दुर्दशा हो जाए !

इसी तरह ब्राह्मण, वैश्य, या अन्य वर्गों में वन्य वर्ग

स्वतः स्वप जाते थे । इसी लिए ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, बैश्यों के और अन्य लोगों के वर्ग बहुत-बहुत भेदों में विभक्त हैं । इसी तरह बाहर के लोग (शक-हूण आदि) मिल गए ।

यह मिलन अत्यन्त स्वारस्य से हुआ, न कोई जोर-जुल्म, न कोई प्रतिबन्ध । बात बहुत स्पष्ट और विवाद-रहित है, इस लिए इसे अधिक विस्तार से कहने की जरूरत नहीं । अन्य लोगों ने बहुत विस्तार से सब लिख भी दिया है ।

इस प्रकरण को हम भारतीय सस्कृति का 'द्वितीय युग' कहते हैं । बाहर से लोग शासक बन कर, तलवार के जोर से, आए और हमारी सस्कृति में मिल कर पराये न रहे—हम सब एक हो गए ।

शक-हूण आदि विजातीय तत्त्वों ने जब भारतीय सस्कृति अपना ली, तब उन के साथ कोई भेद-भाव का वर्ताव नहीं हुआ । परन्तु जो लोग शासक के रूप में आकर विदेशी सस्कृति का ही मोह बनाए रहे, उन (विजातीय या अराष्ट्रीय) तत्त्वों का मिलन कैसे हो ? कोई मनाही न पहले कभी थी, न अब है । फिर भी, हजारों वर्षों से बसे हुए लोगों ने इस देश की सस्कृति नहीं अपनाई, प्रत्युत मजहब के नाम पर इस देश के भी करोड़ों व्यक्तियों को उसी (विदेशी) रंग में रँग दिया और एक सिर-दर्द मदा के लिए पैदा हो गया । इस का वर्णन अगले परिच्छेद में हो गा ।

जो वन्य जन लूट-मार छोड़ कर नागरिक बन जाते थे, उन्हें भी बराबर का सम्मान मिलना था । एक लुटेरे भील ने जब, ऋषियों का सग करने से, अपने सम्कार ठीक कर लिए, तो म्वय ऋषित्व प्राप्त कर लिया । आदि-काव्य ( रामायण ) के रचयिता महर्षि वाल्मीकि भील ही थे और बन में रह कर लूट-

मार किया करते थे। वाद में उन्होंने कैसा पद प्राप्त किया ?  
 द्वापर के वाल्मीकि भगी थे और उन्हें ऐसा सम्मान मिला कि  
 सभी ऋषि-मुनि फीके पड़ गए। वे काम तो 'अपना' ही करते थे;  
 पर उनका जीवन बहुत ऊँचा था। श्रीकृष्ण ने तब तक युधिष्ठिर  
 का 'राजसूय' यज्ञ पूर्ण घोषित नहीं किया, जब तक ससम्मान  
 वाल्मीकि को आमंत्रित न किया गया। उन्हें राजकुल ले आने  
 के लिए स्वयं अर्जुन को उन (वाल्मीकि) के घर जाना पड़ा था  
 और उन के लिए विशेष रूप से खास द्रौपदी को भोजन बनाना  
 पड़ा था। श्रीकृष्ण का निर्देश ही ऐसा था। वाल्मीकि के पधारने  
 पर ही यज्ञ पूर्ण हुआ' घोषणा श्रीकृष्ण ने की।

जो लोग वन में रह कर लूट-मार करते रहते थे, वे  
 अलग थे ही। उन के भी साधारण समाजिक नियम थे। तीर-  
 न्दाज ऐसे थे कि गाण्डीवधारी अर्जुन को भी लूट लिया था।  
 लुटेरों को शस्त्रधारी कौन शासक बनाना पसन्द करेगा ? इसी  
 लिए एक बहुत बड़े लुटेरे वर्ग का एक बालक जब बहुत बड़ा  
 तीरन्दाज बन गया, तो उसका अँगूठा कटवा लिया गया था—  
 उसे शक्तिहीन कर दिया गया था।



(४)

## मुसलमानों के आक्रमण

राष्ट्र सांस्कृतिक दृष्टि से एक, परन्तु शासनिक दृष्टि से विखरा हुआ था, यह बात हम पीछे कह आए हैं। कुछ आगे चल कर शासनिक एकता भी आने को हुई, छोटे-छोटे राजाओं पर अक्रुण कर के साम्राज्य बनने की स्थिति आई। बहुत दूर तक शासन एक हुआ। परन्तु साथ ही एक नई बीमारी भी घुस आई। बौद्ध मत की 'अहिंसा' का भूठा महत्त्व बढ़ा। अहिंसावाद के नाम पर देश में कायरता आ गई। लोग तलवार देख कर सिर आगे कर देने लगे—जैसी भेड़ की अहिंसा होती है। सम्राट् अशोक ने जो अहिंसा-व्रत लिया और अपनी सरकार के अहिंसा-प्रचारक मिशन बनाया, तो दूर दूर तक बात फैल गई। किसी भी अच्छे भाव या काम का नाम लेकर ढोंग फैलता है—फैलाया जाता है। सम्राट् अशोक के अहिंसावाद का भी यही हुआ। आगे चलते-चलते युद्ध-भावना से एकदम वैराग्य हो गया। भय पैदा हो गया, जिसे अहिंसा तथा सहनशीलता का नाम दिया गया। किसी भी वृत्ति के अतिरेक का या अतिगम महत्त्व-स्थापन का यही परिणाम होता है। किसी समय शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए ऋषियों ने आग की उपासना पर जोर दिया था। 'अग्निमीडे' वेद का प्रथम वाक्य है। ठंड मत पड जाओ। देवासुर संग्राम का समय था। ऋषियों ने अपनी मन्तति को युद्ध-प्रिय बनाया—शत्रुओं का (बाहरी आक्रमण

का) सामना कर' के आत्म-रक्षा करने के लिए। आगे चल कर यही भावना विकृत हो गई। लोग आपस में ही लड़ने-मरने लगे। छोटे-छोटे राजा लोग आपस में लड़ते-मरते रहते थे। प्रवाद था—'बुद्ध में आमने-सामने कटक कर मर जाने से स्वर्ग मिलता है।' प्रजा को यों कटवाते रहते थे—आपसा ईर्ष्या-द्वेष के कारण। प्रजा को पशु समझ रखा था। बड़े-बड़े यज्ञ करते थे, अपना वैभव प्रदर्शित करने के लिए। धर्म के नाम पर पशु-संहार होता था। ऐसे समय में बुद्ध भगवान् पैदा हुए और उन्होंने अहिंसावाद का प्रचार किया। बुद्ध स्वयं राज-कुमार थे और सब कुछ छोड़ आए थे, इस लिए बड़ा नाम था, बड़ी प्रतिष्ठा थी। नेपाल की तराई से लेकर इधर भारत के बड़े भू-भाग में छोटे-छोटे गणराज्य क्षत्रियों के थे। ये आपस में लड़ा करते थे। परन्तु बुद्ध भगवान् की सब इज्जत करते थे। 'यथा राजा तथा प्रजा'। राज-सम्मान जिसे प्राप्त हो, उसे प्रजा मानती ही है, फिर भगवान् बुद्ध तो सर्वस्वत्यागी महात्मा थे। राजा-प्रजा सब उन की वन्दना करते थे। उस समय अहिंसावाद की जरूरत थी। उसी पर बुद्ध ने सब से ज्यादा जोर दिया। कहाँ तक अहिंसावाद की सीमा है, कब तलवार पकड़ना धर्म है; इस का जिक्र वे न करते थे। यही श्रीकृष्ण के कर्मयोग से भिन्नता आ गई। गीता में एकाङ्गिता नहीं है—यथास्थिति बुद्धि का उपयोग करने का उपदेश है। खैर, भगवान् बुद्ध अपने मार्ग पर बढ़े। उन्होंने ऐहिक सुख-भोग छोड़ देने का भी उपदेश दिया, जब कि गीता में नियंत्रित और सन्तुलित सुख-भोग का उपदेश है। इस एकाङ्गिता का जो परिणाम हुआ, उसकी चर्चा अभी की जाएगी। यहाँ इतना समझ लीजिए कि बुद्ध भगवान् के सामने ही, उन के परम प्रिय शिष्य,

उन गणराज्यों के शासक आपस में लड़ते मरते थे—प्रजा को, सेना को गाजर-मूली की तरह कटवाते रहते थे। बुद्ध को मानते थे उनकी अहिंसा के गीत गाते थे और व्यवहार में ऐसे थे। दूर क्यों जाते हैं, महात्मा गान्धी के युग में तो हम सब जी ही रहे हैं। उनके 'सत्य' तथा 'अहिंसा' के सिद्धान्त इस देश में कितने चले ? उनके सामने ही क्या दशा थी देश की ? वह सब उन के अन्तिम भाषणों में मौजूद है। जन्म भर अहिंसा का प्रचार करके महात्मा जी ने लोगों को मरते-कटते देखा। फिर भी सब 'महात्मा गान्धी की जय' बोलते रहे। उनकी मान्यता में कमी नहीं आई ! कैसी स्थिति है। माक्षान् हिंसा उन के सामने आ खड़ी हुई और उस ने भी हाथ जोड़ कर उन्हें प्रणाम किया, उस के बाद अपना काम। इस हिंसा का मुकाबला हिंसा ही कर सकती थी। यदि प्रबन्ध होता, विधि-सम्पन्न शक्ति मुकाबले पर होती, तो वह दुर्घटना कैसे होती ? सभी स्थितियों में अहिंसा हिंसा को रोक लेगी, इस दृढ़ मान्यता ने धोखा दिया। सर्वत्र अहिंसा से काम नहीं चलता है। भेड़िया कभी भी अहिंसावाद के आगे सिर न झुकाएगा। एक व्यक्ति की बात और है। भगवान् बुद्ध या महात्मा गान्धी एकान्त अहिंसावाद का पालन कर सकते हैं, परन्तु साधारण जन के लिए वह चीज वैसी नहीं है। राष्ट्र का एकदम अहिंसावादी हो जाना और भी चुग। भेड़िया तो चाहता है कि भेड़ सदा अहिंसक रहे, आपस में भले ही पंने सींगों का उपयोग उछल-उछल कर करती रहे।

मम्राट् अशोक के बाद अहिंसा के गीत भर रह गए। मम्राट् कनिष्क बौद्ध थे, पर वैसे एकान्त-अहिंसावादी नहीं। अपना साम्राज्य दूर तक फैला लिया था। मम्राट् हर्ष ऐसे अहिंसावादी बौद्ध हुए कि व्यवहार में माक्षान् हिंसा के अवतार। एक

प्रतिक्रिया थी। जनता वेवस और कायर हो गई।

मौका पा कर विदेशियों ने आक्रमण शुरू किए। सब से पहला आक्रमण सिन्ध पर 'मुहम्मद बिन कासिम' ने किया। उस समय बौद्ध मन पंजाब और सिन्ध तक ही नहीं, आगे अफगानिस्तान तक पहुँच चुका था। सिन्ध में बौद्ध जनता ही अधिक थी। शासन एक ब्राह्मण के हाथ में था, जिसका नाम 'दाहर' था। दाहर ने बड़ी बहादुरी से आक्रमण का मुकाबला किया और वह उसी युद्ध में वीर-गति को प्राप्त हुआ। उसके कुटुम्ब ने भी अपनी आहुति दे दी। सेना शिथिल हो गई। जनता अहिंसावादिनी थी। देश के अन्य शासक तमाशा देखते रहे। सिन्ध पर विदेशी कब्जा हो गया। इसके बाद उधर से होने वाले किसी भी आक्रमण का मुकाबला सीमान्त में किसी ने नहीं किया। पंजाब को रौंदते हुए आक्रमणकारी सीधे कुरुक्षेत्र तक वेधडक चले आते थे और देहली से कुछ दूर रोके जाते थे। जब देहली के समीप तक शत्रु घुस गया, तब मकान में घुमते कितनी देर। रोकना चाहिए था सुदूर सीमान्त से भी परे। परन्तु यहाँ तो इस लोक से कोई मतलब ही न था।

अहिंसा, दया और क्षमा का अविचारित अतिरेक तो देखिए—प्रसिद्ध है कि विदेशी आक्रमणकारी कई बार परास्त कर के पृथ्वीराज के सामने कैदी के रूप में उपस्थित किया गया और मूर्ख नरेश ने बार-बार उस आततायी को क्षमा-दान देकर वापस अपने देश चले जाने दिया। वह समझ गया था इस देश की बुद्धि को, बार-बार आक्रमण करता रहा। जानता था कि छोड़ दिया जाऊँगा और कभी तो विजय होगी ही। पृथ्वीराज तो भगाई हुई कामिनी (संयोगिता) के साथ महल में रँग-रेलियाँ करता था, सेना कटती-मरती थी। हिम्मत टूट गई। कहाँ तक


जाने का सन्देह रहता है। रूप वैसा हो ही जाता है। इसी लिए 'स्व' का महत्त्व, स्वभाषा का महत्त्व। साधारणतः --निर्विशेष रूप से-- 'श्री' शब्द का चलन सब के लिए उस समय हुआ। सम्भव है, हुकूमत ने इसे पसन्द न किया हो और बीच के लोगों ने भी मजाक उड़ाया हो। हो सकता है कि 'श्री' शब्द का प्रयोग करने के कारण लोगों को कुछ क्षति भी ठानी पड़ी हो। कदाचित् यही कारण हो कि लोग 'श्री' को द्विसक्त (डबल) प्रयोग करने लगे हों। बंगाल में अब भी कहीं-कहीं 'श्री श्री अनिल भट्टाचार्य' जैसे प्रयोग सामने आते हैं। कहीं बहुत्व भी 'श्री' को देने लगे और 'श्री श्री श्री जगदीशचन्द्र' लिखने में तीन बार 'श्री' लिखने की जगह 'श्री ३ महाराज विक्रमाजीत सिंह' लिखने लगे, जैसे कि तीन मात्राएँ (प्लुत) सूचित करने के लिए 'ओ३म्' लिखा जाता है। यह जिद्द या सत्याग्रह यहाँ तक बढ़ा कि 'श्री १०८ महाराज विश्वानन्द' और 'श्री १००८ महाराज उद्धवानन्द' लोग लिखने लगे। करो विरोध, हम एक नहीं, एक हजार आठ बार 'श्री' शब्द का प्रयोग सम्मानार्थ करेंगे। उस समय सम्भव है, यह उत्कट सस्कृति-प्रेम दवाये न बचने पर 'पागलपन' कर के उपेक्षित कर दिया गया हो। १६२० से १६४४-४५ तक स्वराज्य-प्रेमियों को भी लोग 'पागल' ही कहा करते थे। 'पागल हो गए हैं, गूलर का फूल लेंगे।'

शामकों की (विदेशी) भाषाओं के बहुत से शब्द देश ने ग्रहण कर लिए, क्योंकि सङ्कुचित मनोवृत्ति तो कभी इस देश में रही ही नहीं है। रूमाल, कागज, हाजत, हजामत आदि सैकड़ों शब्द हजम कर लिए गए, परन्तु जिन शब्दों में सस्कृति भरी हुई है, जिनमें विदेशी जानीयता है, उन्हें नहीं लिया गया। 'रानी' की जगह 'बेगम' शब्द ग्रहण नहीं किया गया। कारण 'रानी'

शब्द नें जो भारतीय शास्त्र की पत्नी का भारतीय जीवन भूल-  
 जाता है, वह 'वेगन' में क्यों है ? 'वेगन' शब्द से कुछ और ही  
 चीज प्रकृत होती है ; सर्वत्र ऐसे सांस्कृतिक शब्द इसी स्थिति में  
 रहते हैं । अंग्रेज लोग बड़े उदार हैं । अंग्रेजी में 'क्वीन' 'वेगन'  
 तथा 'रानी' आदि शब्द हैं; परन्तु अंग्रेज शासक की पति के  
 लिए तब 'क्वीन' शब्द का ही प्रयोग होता है, 'महारानी' या  
 'मलका' 'वेगन' आदि का नहीं । अरब या ईरान के लोग भी  
 'वेगन' या 'मलका' की जगह 'रानी'-'महारानी' न देंगे । यानी  
 संस्कृति-श्रोतक शब्द 'अपने' ही रहते हैं ।

तो, सामान्य भाषा के हिन्दी-उर्दू में दो शब्द हो गए और  
 शब्दों का आदान-पदान भी हुआ; परन्तु संस्कृति-मूलक शब्द  
 अलग-अलग ही रहे । 'गुरु वशिष्ठ' को उरताह वशिष्ठ या  
 हजरत वशिष्ठ कहना ऐसा लगता है, जैसे कि कोई माली  
 दे रहा हो । इसी तरह 'हजरत मुहम्मद शाह' की  
 जगह 'गुरु मुहम्मद' अच्छा नहीं लगता । मुसलमान कभी  
 भी ऐसे प्रयोग पसन्द नहीं करेंगे । 'मिस्टर' की जगह हज में 'भी'  
 चला दिया, इस देश में; ठीक है; परन्तु 'भी ईदन' या 'भी  
 डलेस' कहते कुछ भला नहीं लगता । 'मि० ईदन मि०  
 डलेस से मिले' यों इन नामों के आगे हिन्दी में भी—मिस्टर  
 ही अधिक अच्छा लगता है । परन्तु 'पण्डित मदन मोहन  
 मालवीय' को 'मि० मदन मोहन मालवीय' अच्छा नहीं  
 लगता । अंग्रेजी अखबार पढ़ते 'मि० मालवीय' 'मि० मालवी'  
 जैसे प्रयोग ही करते थे; परन्तु मान्यता बहुत अधिक बढ़ जाने  
 पर वे भी 'पंडित मालवीय' 'महात्मा मालवी' लिखने लगे थे ।  
 यानी अंग्रेजी के अखबारों ने समझा कि ऐसे महत्त्वपूर्ण भाग  
 विदेशी 'मिस्टर' शब्द के साथ अच्छे नहीं लगते—रामभुज

तरह भारत के मुसलमान भारतीय संस्कृति ग्रहण न करेंगे और न इस देश के (सब के सब) हिन्दू मुसलमान ही बनेंगे। ऐसी स्थिति में वह मगडा तो बना ही रहा, जिसे मिटाने के लिए राष्ट्र का विभाजन हुआ और वे-वे दर्दनाक नजारे सामने आए। यदि सांस्कृतिक एकता न हुई, तो राष्ट्र के लिए फिर भयंकर स्थिति पैदा हो सकती है।



(५)

## अंग्रेजी राज और रूढ़राज

मुसलमान आक्रमणकारियों ने, लुटेरों ने और शासकों ने, हिन्दू-भावनाओं को कुचल देने के लिए क्रूर से क्रूर कार्य किए, पर सब सह कर भी यह जाति जीवित बनी रही— 'कूर्मोऽह्नीव सर्वश'— जैसे आपत्काल में कछुआ अपने अङ्गों को समेट कर चुपचाप पड़ जाता है, वही स्थिति हिन्दू जाति ने ग्रहण की। बीच-बीच में कबोर, अकबर, नानक और गान्धी जो जैसे महापुरुषों ने प्रयत्न किए कि दोनों मिल कर एक हो जाए, पर सब के सब असफल रहे। 'खिलाफत' आन्दोलन के समय अपने मतलब के लिए कुछ मेल-मिलाप नजर आया था; पर वह 'दूध पानी' का नहीं, 'चावल दाल' का सा मेल था और क्षणिक था, स्वार्थ-प्रेरित था, कृत्रिम था। एक न हो सकने का कारण सांस्कृतिक भेद था और है, यह बात पीछे कई बार कही गई है।

मुसलमानी साम्राज्य छिन्न-भिन्न होने पर योरोपीय जातियों इधर गीधों की तरह देखने लगीं और मँडराने लगीं। फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेज आदि ने डेरे डाल दिए। कालान्तर में किस तरह अंग्रेजी राज इस देश में जमा और फ़ास-पुर्तगाल जैसे मौसैरे भाईयों की मूछे ऊँची रखने के लिए नाम-मात्र के प्रदेश उन्हें देकर अंग्रेज ने विविध सन्धियों करलीं और किस तरह इस देश के राजाओं ने घुटने टेक दिए, यह सब लिखने की जरूरत नहीं। सब जानते हैं।



## आधुनिकता का प्रवेश

अंग्रेजी राज के साथ साथ इस देश में आधुनिकता का प्रवेश हुआ। यह संयोग की बात है। यदि अंग्रेजी राज यहाँ न जम पाता और हम स्वतंत्र होते, तो भी आधुनिकता इसी तरह आती। जहाँ अंग्रेजी राज नहीं, वहाँ भी तो आधुनिकता का प्रवेश-प्रसार हुआ ही है। जब हवा चलती है, तो वह सब के लगती है, चाहे उसे कोई चाहे, या न चाहे। यही बात युग-चेतना की है। कुछ भी हो, अंग्रेजी शासन-काल में इस देश ने आधुनिकता का स्पर्श किया।

### ‘बाबू’-‘मिस्टर’ जमात

जैसे मुस्लिम शासन काल में ‘मुंशी’-‘जनाव’ लोगों की जमात बन गई थी, उसी तरह अंग्रेजी राज में ‘बाबू’-‘मिस्टर’ वर्ग बन गया था। अंग्रेजियत के मजदूर और अंग्रेजी राज के भाट। कुछ लोगों को ‘राय बहादुर’ ‘सर’ आदि के खिताब दे कर सर कर लिया गया था। सो, यह शासनिक तोड़-फोड़ थी। अंग्रेजों के कारण हमारे देश में कोई तीसरी संस्कृति नहीं बन पाई, यह भगवान की दया। अन्यथा, यह एक और बखेड़ा पैदा हो जाता। अंग्रेजी राज के साथ-साथ वह ‘बाबू’-‘मिस्टर’-‘सर’ जमात भी अदृश्य हो गई। वे सब तो हैं, बखुर्द आदि जाती रही—वह अराष्ट्रीयता जाती रही। कृत्रिम चीज थी—स्वार्थ मात्र आचार था।

अब राष्ट्रीयता की फिर से नीवें लग रही हैं। अब जरूरत है कि हिन्दू जाति को बलिष्ठ और संगठित किया जाए।

## जात-पाँत और वर्ण- व्यवस्था का भूत

वर्ण-व्यवस्था का भूत वर्डा भयंकर है। सावधान होने की जरूरत है। ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जातियाँ नहीं, 'वर्ण' बनाए गए थे। जाति तो सबकी एक है—हिन्दू। हम सब हिन्दू हैं। 'भारतीय' तथा 'हिन्दुस्तानी' शब्द भी वही अर्थ देते हैं, पर अमरतय भावना वाले लोग भी अपने को 'भारतीय' तथा 'हिन्दुस्तानी' कहते हैं, इस लिए स्पष्ट शब्द 'हिन्दू'।

वर्णव्यवस्था से हिन्दू जाति को किसी समय लाभ भी बहुत पहुँचा है। परन्तु अब वह स्थिति नहीं है। अब इस नाम भर की वर्णव्यवस्था से और जात-पाँत के अनगिनत भेदों से हिन्दू जाति छिन्न भिन्न हो रही है।

वस्तुतः आज वर्णव्यवस्था का नाम भर है। लाभ कुछ नहीं, हानि बहुत। सब अपने को अलग-अलग समझने लगे हैं। इस अलगाव को समाप्त कर देना चाहिए। वर्णव्यवस्था के भूत को भगाने के लिए लाल मिर्चों की धूनी भी देनी पड़े, तो घबराना न चाहिए। ब्राह्मण पण्डितों को चाहिए कि वर्णव्यवस्था हटाने में सहयोग दें। 'क्षत्रियों को राज करना चाहिए' 'वैश्यों को व्यापार करना चाहिए' वर्णव्यवस्था की इस मान्यता, भावना तथा रूढ़ि ने कोटि-कोटि ब्राह्मणों को बहुत घाटे में रखा है, बहुत भौतिक हानि पहुँचाई है। इस भावना को अब हटा देना चाहिए। जो घाटा हुआ, उसकी पूर्ति तो सम्भव नहीं, पर भविष्य अन्ध रहेंगा। भावना ही आगे बढ़ती है और भावना ही आगे बढ़ने से रोक देती है। सो ब्राह्मणों को अब भूठी वर्णव्यवस्था को नमस्कार कर लेना चाहिए। तुम्हारे पुरखों ने जो (ब्राह्मणत्व के कारण) त्याग-तपस्या की, उसका फल तुम्हें क्या मिल रहा है? क्षत्रिय

तो उन्हें करना पडा था, किसी वैसे क्षत्रिय के अभाव मे । अधिका-कारी मिलते ही अपना धनुष-बाण आदि सब अलग रख दिया, सौप दिया । तुम्हारा काम जाने, तुम जानो । इस तरह के अप्रतिम महापुरुष का भी मन्दिर है ? कहीं अर्चना होती है ? यह इसीलिए कि ब्राह्मणों ने ऐसा उचित नहीं समझा । वैसी उदारता सब मे सम्भव नहीं । सम्भव था, परशुराम की पूजा प्रचलित होने से क्षत्रिय-समाज को बुरा लगता और दो प्रधान वर्गों मे अनवन हो जाती । बुद्धि का रास्त्र के साथ सहयोग न हो, कृष्ण अर्जुन से अलग हो जायँ, तो क्या होगा ? सर्वत्र पराजय । तब आर्य-जाति और सस्कृति का क्या होता यही सब सोचकर ब्राह्मणों ने परशुराम-पूजा का विधान न किया, यद्यपि बाद मे बुद्ध-पूजा का स्वागत किया । इसी उदारता का फल है कि आज तक हम सब एक जाति के अग हैं ।

परशुराम के प्रसङ्ग से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्राह्मणों ने आवश्यकता पड़ने पर राजनीति मे शस्त्र-ग्रहण भी किया है, पर विशेष स्थिति मे । जब हमारे शासक (क्षत्रिय) वर्ग मे कोई झुटि या शिथिलता आई है, तभी ऐसा हुआ है । माँसी की ब्राह्मण-कन्या और ब्राह्मण-वधू (महारानी लक्ष्मीबाई) ने तब तलवार उठाई, जब क्षत्रियों की मर्दागगी ओजहीन हो चुकी थी । उसी समय अनेक अन्य ब्राह्मणों ने भी शस्त्र ग्रहण किया । इसका मतलब यह हुआ कि चार वर्गों की कर्म-व्यवस्था साधारण तौर पर है । विशेष परिस्थिति मे सबको सबके काम करने चाहिए । हमारे घर मे कल्लू कहार पानी भरता है । हम सब लोग पीते हैं । परन्तु घर मे आग लग जाने पर भी हम उसी के भरोसे बैठे रहें और सोचे कि पानी भर कर लाना हमारा काम नहीं तो हमारा घर जलकर खाक हो जायगा । कर्म अथवा वर्ण-व्यवस्था का

यह मतलब नहीं ।

खैर, जो कुछ भी हो, इतना स्पष्ट है कि ब्राह्मणों में कभी भी अपने वर्ग के प्रति पक्षपात नहीं रहा है, उचित भी नहीं, अनुचित की कौन कहे । उनकी इस विगल-हृदयता ने ही उन्हें समाज का नेतृत्व दिया ।

### अंग्रेजी राज्य

जब देश में अंग्रेजी राज्य आया. तो एक नई हलचल उत्पन्न हुई । तब तक मुसलमानी राज्य के प्रभाव से हमारी समाज-व्यवस्था में शिथिलता आ गई थी । मूलतः अपनी संस्कृति सुरक्षित रहने पर भी ऊपरी ढाँचे में कुछ साधारण परिवर्तन आ गए थे । ऊपर कह आए हैं कि दो बुद्धि-प्रधान (राष्ट्रवादी तथा अवसरवादी) वर्गों में संघर्ष शुरू हो गया था—‘परिडत’ जी में और ‘मुशी’ जी में भगडा चल रहा था । इसका फल यह हुआ कि राजसत्ता तो राष्ट्रवादी दल के विरुद्ध थी ही, समाज में भी कुछ भाव-परिवर्तन हो गए । उस अवसरवादी दल ने ऊपर से विदेशी शासकों की सभ्यता स्वीकार करके भी अपना ‘धर्म’ न छोड़ा, हिन्दुत्व न छोड़ा । इसमें दृढ़ता दिखलाई । ब्राह्मणों के साथ संघर्ष करके भी हिन्दुत्व न छोड़ना एक विशेष बात थी । यह भी कहा कि हिन्दुत्व का ठेका ब्राह्मणों पर ही नहीं है, हम भी उसी जाति के अंग हैं, जिसके ब्राह्मण । इस प्रकार की भावना ने हिन्दू-जाति को वचाया, बल दिया । साम्य-भावना में शक्ति है । परन्तु धीरे-धीरे इसका फल यह हुआ कि साधारण जनता में भी यह भाव जाग्रत हुआ । लोग हिन्दुत्व में पक्के थे, ब्राह्मणों का सम्मान भी करते थे, पर उनकी ‘सेवा’ करने में शिथिलता आ

गई। अमावस-पूनी आदि के सीधे-सामान भी वन्द होने लगे। जो लोग सूखा-सूखा खाकर जन-शिक्षण का काम किया करते थे, वे भी चिन्तित हुए। राजसत्ता से सहयोग न था। उर्दू-फारसी पढ़े बिना (हिन्दी सम्भूत वाले को) सरकारी नौकरी कौन देता? भूमि भी पास न थी। वैसी परम्परा में ही ये न थे। जो उस परम्परा में थे वे राजा, ताल्लुकेदार और जमींदार बने मजे में थे, भले ही तलवार पकड़ने का शऊर न हो। ब्राह्मण लोग व्यापार भी न कर सकते थे। पूँजी कहाँ से लाते? उनकी तो परम्परा ही दूसरे ढँग की थी। पूँजी एक दिन में इकट्ठा नहीं हो जाया करती। बिडला और डालमिया आदि पर लक्ष्मीजी ने एक ही पुस्त में इतनी कृपा नहीं करदी है। ब्राह्मणों के बच्चे जब रोटियों के लिए भी तरमने लगे, तब ये डगमगाए। ऐसी परिस्थिति में महाराणा प्रताप जैसे फौलादी को भी पिघलते देखा गया है। ब्राह्मणों ने युगों तक कष्ट का जीवन बिताया था, पर जनता का बल था। विदेशी शासन से उसमें शिथिलता आ गई। कष्ट-सहन की भी कोई सीमा होती है। ब्राह्मण कुछ विचलित हुए।

अंग्रेजी राज्य आने पर जब नए युग का आरम्भ हुआ और प्रत्यक्ष सम्भूति और सभ्यता की रक्षा की दुहाई दी जाने लगी, तब ब्राह्मण-समाज ने भी अंग्रेजी पढ़-लिखकर राज-काज में भाग लेने की सोची। ब्राह्मण भी अंगरेजी पढ़ने लगे और सरकारी नौकरियों में जाने लगे। वह अवसर वाली वर्ग तो पहले से ही राज-दरवार में डटा था। इस नये और प्रभावशाली वर्ग को वहाँ आते देख चौंका, गुर्गुराया। 'सेवा श्रृत्तिगस्याता।' नौकरी एक कुत्ते का-न्ना काम है। दूसरे को आता देख गुर्गुराना स्वाभाविक है।

दोनों दलों में भीतर ही भीतर सवर्ष चला। अब तक

प्रतिस्पर्द्धा चल रही है, विशेषतः युक्त-प्रान्त मे । यहाँ तक कि कांग्रेसी हलके भी इस हलकेपन से खाली नहीं हैं । जब सन् १९३७ में देश के विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डल बने, तो स्वभावतः सर्वत्र ब्राह्मणों का प्राधान्य रहा । जनसत्तात्मक शासन मे यह सम्भव ही है । जिस वर्ग ने अपने अधिक आदमी त्याग और तपस्या के जीवन मे लगाये थे, उसी की प्रधानता होनी ही थी । सब मन्त्रि-मण्डलों में ब्राह्मणों की प्रधानता देखकर युक्त-प्रान्त के प्रतिद्वन्दी दल से एक आवाज उठी— ब्राह्मण-राज्य ! ब्राह्मण-राज्य ! कांग्रेस-विरोधी 'लीडर' आदि अखबारों ने इस आवाज को ऊँचा उठाया । हंगामा खडा कर दिया गया । आखिर किसे मन्त्रि मण्डल मे ले ? किसे अलग करे ? अन्तत ५० प्यारे-लाल शर्मा को समझाकर शिक्षा-मन्त्री के पद से त्याग-पत्र दिलाया गया और बाबू सम्पूर्णानन्द जी को उनकी जगह लाकर बैठाया गया । तब वह 'आन्दोलन' शान्त हुआ । कहने का मतलब यह कि मुसलमानी शासनकाल में आर्य-जाति के जिन दो बुद्धि-प्रधान वर्गों मे संघर्ष चल पडा था, वह अब तक चल ही रहा है । अभी हाल की ही बात है, बाबू सम्पूर्णानन्द जी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी—

### ब्राह्मण ! सावधान

इसमें ब्राह्मणत्व को पुनः जागृत करने के लिए एक चेतावनी थी । लिखा था कि ब्राह्मण पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं । समाज की रक्षा के लिए इन्हें फिर सजग होना चाहिए ।

चूंकि वह संघर्ष की भावना विद्यमान थी, इस चेतावनी से भी ब्राह्मणों ने बुरा माना; उसी तरह जैसे श्री सहगल के ('चौद' के) 'मारवाड़ी अड्ड' से मारवाड़ी समाज ने और मिस

मेयो की 'मदर इण्डिया' से भारतीय समाज ने कभी बुरा माना था। यदि मन में कुछ वैसी भावना न होती, तो उस पुस्तक में कोई वैसी बात न थी। एक विद्वान् कायस्थ ने ब्राह्मण-समाज के उत्थान के लिए कुछ लिखा, तो क्या बुरा किया? क्या कायस्थ अपने नहीं हैं? इस प्रकार की भावना अच्छी नहीं। आर्य-जाति के सब अंग हैं, सब समान हैं। एक-दूसरे को चेतावनी देकर उठावे, तो बुरा क्या है? सकुचित मनोवृत्ति छोड़नी चाहिए। वही उदारता अपनाओ, तब कुछ होगा। जो सघप किसी समय चल पडा था उसे समाप्त समझना चाहिए। अब ब्राह्मण भी राज-काज में भाग लेने के लिए अंगरेजी पढते हैं और उसी मभ्यता को अपनाते हैं। तब फर्क क्या रहा? दूसरे लोगो को भी समझना चाहिए कि ब्राह्मण लोग प्रतिद्वन्द्विता करने के लिए इस निपिद्ध मार्ग में नहीं आए हैं, उन्हें इस ओर आने के लिए परिस्थितियों ने विवश किया है।

हाँ, अंगरेजी राज्य आने पर ब्राह्मणत्व की वह धारा—वह सरस्वती—लुप्त हो गई। नाम भर बाकी है।

### मृग-मरीचिका

जब ब्राह्मणों ने दूसरा मार्ग पकडा, तो मानसिक भाव भी बदले। जो त्याग और तपस्या से अपना उत्कर्ष समझते थे, वे 'पैसे' को ही सब कुछ समझने लगे। वस्तुतः यह पैसे का युग है। हममें उस महत्त्वशाली वर्ग पर जादू फेका। बिना पैसे के कोई किसी को पृच्छता जो नहीं।

परन्तु यहाँ मैं ब्राह्मणों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। वे मृग-मरीचिका के पीछे न दौड़े। वे जैसी परम्परा में आये हैं, कभी भी जयपुर, जोधपुर, ग्वालियर या बडोदा जैसे राज्यों के

राजा नहीं हो सकते। न वे विडला डालमिया का मुकाबला व्यापार में कर सकते हैं चाहे जितनी प्रतिभा हो। व्यापार में लगाने के लिए सम्पत्ति कहा से लाएंगे ? फलतः अपने विशेष उत्कर्ष के लिए त्याग और तपस्या की ओर देखना चाहिए — जैसे उडि जहाज को पछी, पुनि जहाज पै आवै ।’ और कोई उपाय नहीं है। ब्राह्मण चाहे तो ‘महर्षि मालवीय’ बन सकता है, जिसके चरणों पर ग्वालियर-नरेश तथा विडला लोटते हैं, परन्तु ग्वालियर-नरेश या विडला बनना सम्भव नहीं। यह हमारी परम्परा का प्रभाव है। हमारे पुरखों ने हमें इसी योग्य बनाया है। हम इसी ओर चलकर उत्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। हा साधारण जीविका के लिए आप दूकान या खेती भले ही करें, करते ही हैं और करनी ही चाहिए। समय ही ऐसा है। परन्तु इसे उत्कर्ष का साधन समझने की गल्ती न करें। दूसरों के लिए वह सब उत्कर्ष का साधन है, तुम्हारे लिए नहीं। इस सम्बन्ध में हमें जो कुछ अधिक कहना है, आगे कहेंगे। यहां तो इतना प्रसंगवश ही कह दिया।

इस तरह हमने सक्षेप से एक धारा के दर्शन किए। इसका कैसे उद्गम हुआ, कैसे इसने राष्ट्र और समाज को जीवन दिया और किस तरह नाममात्र को रह गई, यह स्पष्ट हुआ।

### दान-वृत्ति

दान वृत्ति के लिए ब्राह्मणों को विगर्हणा होती है। जिन्होंने सबको सब कुछ देकर अपना हाड़-मांस तक समाज-सेवा में गला दिया जिन्हें परम्परागत गरीबी मिली, उनकी निन्दा होती है, दान लेने के कारण। इस प्रवाद की जितनी कुत्सा की जाय, थोड़ी है। ब्राह्मण ने कभी किसी से ‘दान’ लिया नहीं, सदा



सबको दिया है। इसी का फल परम्परागत गरीबी है। इसीलिए मनु ने बड़ी कृतज्ञता के साथ स्पष्ट लिखा है—

सर्वं स्व ब्राह्मणस्येद यत्किञ्चिज्जगतीगतम् ।  
श्रेष्ठ्येनाभिजनेनेद सर्वं वै ब्राह्मणोऽर्हति ॥

अर्थात् राष्ट्र में जो कुछ भी सम्पदा-पेश्वर्य या प्रभुत्व है, वह सब वस्तुतः ब्राह्मण का है। क्षत्रिय को राज्य और वैश्य को लक्ष्मीपतित्व उसी का दिया हुआ है। वस्तुतः वह (ब्राह्मण) अपनी बुद्धि तपस्या तथा उदारता आदि की श्रेष्ठता के कारण तथा शानदार तेजस्वी परम्परा के कारण यह सब कुछ प्राप्त करने का अधिकारी है।

इसके अगले ही श्लोक में फिर उन्होंने स्पष्ट किया है—

स्वमेव ब्राह्मणो भुक्ते, स्व वस्ते, स्वं ददाति च ।  
आनृशम्याद् ब्राह्मणस्य भुङ्गते हीतरे जना ।

ब्राह्मण अपना खाता है अपना पहनता है, अपना ही (दूमरों को) दान करता है। दूमरे लोग उसी की कृपा से सब उपभोग करते हैं।

वस्तुतः यह उम समय की वस्तुस्थिति का वर्णन है। जिन्हें हमारे पुरखों ने वह सब देकर इस लायक बनाया था, वे ही अब हम जैसे के युग में, हमारी गरीबी पर हँसते हैं! कृतज्ञता तो दूर, उलटे यह मनोवृत्ति। हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊँ। खैर, समय का फेर है। हमारे पुरखों ने उत्तराधिकार में हमें गरीबी दी, कुछ कमाकर न घर गण, न जमीन, न पूजी। फिर भी हमें मन्तोप है। गर्व है कि हम उम परम्परा के हैं। किसी तरह अपना काम चलाते हैं। परन्तु तो भी चैन नहीं। सुनने को वह बोली। बैसी ठठोली। ब्राह्मण को 'भैंगता काम' तक कहने की

धृष्टता की जाती है। हमें इस पर आज विचार करना है।

इसमें सन्देह नहीं कि मांगना बहुत बुरा काम है। यदि किसी अश में यह दुर्वृत्ति हो, तो अविलम्ब छोड़ने योग्य है। देखें, कहां यह है !

किसी भी शहर, कस्बे या गांव में आप देखें, अधिकांश ब्राह्मण समयानुसार खेती, नौकरी या दूकान आदि के द्वारा अपना काम चलाते नजर आएंगे। कहीं कोई 'मांगनेवाला' न दिखाई देगा।

तीर्थों में कुछ पंडे-पुरोहित रहते हैं। इन्हें लोग 'दान' लेनेवाले कहते हैं। परन्तु यह बात गलत है। तीर्थों के पंडे 'दान' नहीं लेते, कड़ा परिश्रम करके खाते हैं। उन्हें उनकी मेहनत के बदले जो स्वेच्छा से लोग देते हैं, उसे ही 'दान' समझा जाता है, जो गलत है। किसी भी तीर्थ के पंडे रात-विरात, वर्षा और धूप में, कड़ाके की सर्दी में, घर से निकलकर रेलवे स्टेशन जाते हैं। वहां से यात्री को ले जाकर यथास्थान ठहराते हैं। उसकी सुख-सुविधा का पूरा प्रवन्ध करते हैं। फिर उसे साथ ले जाकर सब दिखाते हैं, दर्शन और स्नानादि कराते हैं। यों यात्री को वह सब कुछ एकत्र मिल जाता है, जो उसे जरूरी है। होटल के आदमी ऐसा आराम नहीं दे सकते और कोई दूसरा 'गाइड' इस सतर्कता से सब दिखा नहीं सकता। फिर भी, पारिश्रमिक का कुछ ठहराव नहीं। चलते समय यात्री ने जो कुछ दे दिया, ले लिया और उसे आशीर्वाद दिया। जिसने कुछ न दिया, न दो ! इसीलिए लोगों ने उसे 'दान' समझ लिया। यदि ये पंडे अपनी निश्चित फीस वांध दें और जवरदस्ती उसे वसूल करें, तब 'दान' न रहेगा। कैसा बुद्धि-भ्रम है ! इनके पारिश्रमिक को 'दान' कहना गलती है।

कुछ ब्राह्मण पौरोहित्य करते हैं। उनके पारिश्रमिक को भी लोग 'दान' कहते हैं। यह भी विडम्बना है। 'दान' तो वह है जो बिना कुछ किए घर में पहुँच जाय। निःसन्देह ऐसा 'दान' साधु-महन्तों को मिलता है जिनमें नब्बे प्रतिशत से भी अधिक संख्या गैर-ब्राह्मणों की है। तब 'दान' कौन ग्रहण करता है ? सोचकर देखने की बात है। ब्राह्मणों को 'दान' लेनेवाला कहकर चिढ़ाना एक अक्षम्य सामाजिक अपराध है और बड़ी भारी कृत-वन्ता है। फिर भी, मैं ब्राह्मणों से निवेदन करूँगा कि यदि कहीं कोई ऐसी बात हो तो छोड़ देना चाहिए। 'दान' लेना हमारे लिए शोभा की चीज नहीं।

### हमारा उत्कर्ष

यदि आप अपना उत्कर्ष चाहते हैं तो अपने रूप को पहचानना होगा, राष्ट्र के लिए त्याग और तपस्या को अपनाना होगा। क्षत्रिय अब भी अपने राज्यवैभव का प्रदर्शन कर सकते हैं। वैश्य अब भी करोड़ों की थैलियाँ उछाल सकते हैं। तुम्हारे पास क्या है ? इन नाभारिक चीजों से तुम किसी का मुकाबला कर सकते हो ? सबसे नीचे रहोगे। तुम्हारे गाँव के सेठजी ने जितना रुपया लडकी के विवाह में खर्च किया, उतना तुम भी करो, क्या यह सम्भव और ठीक है ? हो सकता है ? तुम इसके उलटे एक नाभियल भेंट करके लडकी का विवाह करो उसे सर्वथा योग्य बनाकर। उसे त्याग और तपस्या का उपदेश दो। इससे तुम्हारी शोभा होगी। दूसरों की नकल करने से काम न चलेगा। वह हमारी परम्परा के अनुकूल नहीं है। हाँ, त्याग और तपस्या में तुम उनसे आगे बढ़ सकते हो। बुद्धि तुम्हें अब भी प्राप्त है। इन गिरी दशा में भी प्रतिभा ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है।

उमके बल पर आगे बढ़ो, राष्ट्र तथा धर्म की सेवा करो। यदि ऐसा नहीं कर सकते, तो चुपचाप जीवन-निर्वाह करो। उत्कर्ष प्राप्त करके सबके सिरमौर बनने की कल्पना छोड़ दो। यह एक पुस्त में सम्भव नहीं कि तुम जैसे बन जाओ, धनकुवेर या कहीं के नरेश बन जाओ। कहीं कोई भाग्य से कुछ बन जाय, वह और बात है।

### ब्राह्मण की अग्रगामिता

अच्छी तरह सब लोग जानते हैं कि ब्राह्मण जिधर भी जायगा, अग्रगामी रहेगा। समाज-सुधार की आजकल धूम है और वर्ण-व्यवस्था को तोड़ देना ही इसके लिए अमोघ औपध समझी गई है। जहाँ-तहाँ 'जात-पाँत तोड़क मण्डल' भी कायम हुए हैं। परन्तु यह कील इतनी मजबूत गढ़ी है कि उखाड़े नहीं उखड़ती। इसके लिए लोग ब्राह्मणों को दोषी ठहराते हैं और मच पर चढ़कर गालियाँ देते हैं। परन्तु आप देखें, दोष किसका है? ब्राह्मणों को वर्ण-व्यवस्था के कारण अब तक क्या लाभ हुआ है और आगे क्या होने की आशा है, मच जानते हैं! उलटे, कुछ ब्राह्मण तो अग्रगामी हुए हैं यद्यपि उनकी यह 'अग्रगामिता' हम लोगों को कतई पसन्द नहीं। छोटे-मोटे नहीं, चोटी के ब्राह्मणों ने अपनी लड़कियाँ वैश्यों को दे दीं। चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचार्य ने अपनी लड़की महात्मा गांधी के लड़के श्री देवदास गांधी को व्याह दी, जो दिल्ली के एक अखवार के डायरेक्टर हैं। पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपनी छोटी बहन एक दूसरे सेठ—श्रीहठी भाई—को व्याह दी, जिनका नाम पहले कोई जानता ही न था। एक बंगाली ब्राह्मण कन्या से महात्मा गांधी के पौत्र श्री कनु गांधी

उत्तराधिकार को मानते हैं और आप हमारे इस ऊपरी सम्मान को भी नहीं देख सकते। यह तो अपने आप उठा जा रहा है। ससार की गति ऐसी ही है। तब आप हमें चिढ़ाकर क्या फल चाहते हैं? यह क्या अच्छा है? हम भी आपके ही हैं, आपके सदा काम आए हैं और आपके लिए ही हैं। हमारी विशेषता नष्ट न करोगे तो, कभी-न-कभी हम समाज की सेवा में उसी तरह काम आएँगे, क्योंकि तब हमें भान रहेगा—

‘ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षूद्रकामाय नेष्यते’

ब्राह्मण का यह शरीर क्षूद्र कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, इसका महान् उद्देश्य है।

अब भी कुछ है.

समय की गति से देश का हास हुआ। इस देश के अन्तिम सम्राट पृथ्वीराज ने अनेक बार विदेशी आक्रमणकारी को परास्त करने में देश के असंख्य योद्धा कटवा दिये और फिर बार-बार उसे ‘भाफ’ कर देने की ‘उदारता’ प्रकट की। यह ‘उदारता’ देश के लिए बहुत मँहगी पड़ी। हम मुद्दत के लिए पराधीन हो गए। हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। हम सर्वथा हीन हो गए। न राज्य रहा, न व्यापार रहा और न वैसी प्रज्ञा ही रह गई। ब्राह्मण भी गिरे। परन्तु इम गिरी दशा में भी अभी बहुत कुछ हैं। राजनीति में लोकमान्य तिलक, कविता में श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, संगीत को पुनरुज्जीवन देने में श्री विष्णु दिगम्बर, समाज-सुधार में स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि रत्न अपना अप्रतिम स्थान रखते हैं। आज भी देश के अविकाश विश्वविद्यालयों का संचालन ब्राह्मणों के ही हाथों हो रहा है। ब्राह्मण ऐसे गिरे हुए इस समय भी नहीं हैं। परन्तु हमें अपनी

इस अवस्था से सन्तोष नहीं है। हाँ, दूसरे हँसें, यह ठीक नहीं। वस, इतना ही निवेदन करना था।”

मेरे इस निबन्ध ने काम किया और शान्ति हुई। परन्तु कुछ दिन बाद फिर वही हवा चली! लोगों ने समाज-मुधार के नाम पर दूसरों को बुरा-भला कहना एक फैशन बना रखा है! इस से क्या भला होगा?

### ‘संस्कृति’ शब्द का गलत अर्थ में प्रयोग

कुछ दिनों से संस्कृति का प्रयोग एक बहुत गलत अर्थ में हो रहा है! जैसे ‘देव’ शब्द का प्रयोग ‘राक्षस’ के अर्थ में और ‘हजरत’ शब्द का प्रयोग ‘चालाक’ के अर्थ में किया जाता है। एक जगह भावना-विशेष काम करती है दूसरी जगह लक्षण। संस्कृति का अर्थ स्पष्ट है—संस्कारजन्य भावनाएँ और तत्तदनुकूल आचार-व्यवहार, रहन-सहन, वेश-भूषा आदि। परन्तु नाचने-गाने वालों की मंडली को जब ‘सांस्कृतिक शिष्ट मण्डल’ कहा जाता है, तब क्या समझा जाए? ‘संगीत-मण्डल’ बना-वनाया शब्द है। यह और बात है कि प्रत्येक देश में—प्रत्येक जाति में—नृत्य-गायन आदि के स्वरूप में भेद है। इसे जाति भेद से, या संस्कृति-भेद से संगीत-विशेष ही तो कहेंगे? ‘संगीत’ ही संस्कृति कैसे हो जाएगी? हाँ, संस्कार का दूसरा अर्थ लेकर—परिष्कार का समकक्ष समझ कर—‘संस्कृति’ का तदर्थ प्रयोग किया जाए तो बात दूसरी है। महर्षि मालवीय हमारे सांस्कृतिक नेता थे। राजर्षि टंडन तथा आचार्य विनावा भावे हमारे सांस्कृतिक नेता हैं। परन्तु सुप्रसिद्ध कलाकार श्री उदयशंकर जी को हम ‘सांस्कृतिक’ नेता कैसे कहेंगे?

पिछले दिनों की बात है, वर्षा में अ० भा० हिन्दी मम्म-

लन था । राजर्षि टडन, महापरिडित राहुल साकृत्यायन आदि बड़े-बड़े लोग पहुँचे थे । पं० रविशंकर शुक्ल ने उद्घाटन किया था और पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र अध्यक्ष थे । दो दिन का पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाने पर पं० रामेश्वरदयाल दुवे ने एक सूचना उद्घोषित की—

“सम्मेलन का सब कार्यक्रम पूरा हो चुका है, अब रात में केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम होना बाकी है ।”

मैं समीप ही मंच पर बैठा था । जोर से मैंने कहा—

“क्या अभी तक का सम्पूर्ण कार्यक्रम असांस्कृतिक था ?”

लोग हँस पड़े । दुवे जी ने कहा—‘मेरा मतलब मनोरंजक कार्यक्रम से है ।’

अच्छा—तो फिर, मनोरंजक कार्यक्रम’ कहिए न ! अभी पिछले दिनों तक यही तो कहा जाता था । जब देश स्वतन्त्र हुआ और सांस्कृतिक चर्चा आगे बढ़ी, तो यार लोगों ने ‘संस्कृति’ शब्द का यों अर्थान्तर में प्रयोग करना शुरू किया । बात यों भी उड़ाई जाती है । यह भी एक तरीका है । परन्तु जो लोग समझ-बूझ कर शब्द-प्रयोग करते हैं, उन्हें तो सोचना ही होगा । वैसे आज कल शब्द-प्रयोग में जो लवङ्ग-धोंधों चल रही है, सामने है ही ! ‘सुरक्षा’ को ‘प्रतिरक्षा’ कहा जा रहा है ! रक्षा के मुकाबले ‘प्रतिरक्षा’ ! ‘आक्रमण’ पर ‘प्रत्याक्रमण’ तो सुना था; अब किसी की अपनी ‘रक्षा’ से भी हमें मुकाबला करना होता है—‘प्रतिरक्षा’ । उपसर्गों से बहुत प्रेम है, तो ‘परिरक्षा’ कर लेते—‘परित.रक्षा’ । खैर, बात दूसरी है । नाचने-गाने को ‘संस्कृति’ कहना भी ऐसा ही समझिए ।



